X संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अनुसंधान और सांख्यिकी

महामारी के कारण उत्पन्न व्यवस्थागत व्यवधानों के प्रतिक्रियास्वरूप रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान संचार, वर्चुअल बैठकों, वेब-कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया के अभिनव साधनों को अपनाया। आर्थिक और सांख्यिकीय नीति विश्लेषण एवं अनुसंधान को फिर से परिभाषित किया गया, और सूचना प्रबंधन प्रणाली को मजबूत किया गया। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली, सार्कफाइनेन्स की अध्यक्षता का कार्यकाल पूरा किया और जी -20 के फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप (एफडब्ल्यूजी) की सह-अध्यक्षता की। महामारी की स्थिति में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रभावी नकदी प्रबंधन और ठोस प्रबंधन समय की प्राथमिकताएं थीं। ठोस और कुशल वित्तीय प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए कई विधायी पहल/संशोधन किए गए।

X.1 महामारी के मद्देनजर, रिज़र्व बैंक ने जनता तक अपनी पहुँच को व्यापक बनाने के लिए वर्चुअल प्लेटफार्मों का सहारा लिया। व्यवस्थागत चुनौतियों के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ संबंधों को और मजबूत किया गया। मुद्रा के लिए एहतियाती मांग बढ़ जाने से *ई-कुबेर* के साथ अपने सिस्टम को एकीकृत करके केंद्र और राज्य सरकारों को प्रभावी नकदी प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास किए गए। वैश्विक वित्तीय बाजारों और महामारी की वजह से आस्ति की कीमतों में आई अस्थिरता का मुकाबला करने हेतु विदेशी मुद्रा प्रबंधन के लिए जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को मजबूत किया गया। नीति-उन्मुख अनुसंधान किए गए, और प्रमुख प्रकाशनों का समय पर प्रकाशन सुनिश्चित किया गया । डेटा साइंस लैब (डीएसएल) की स्थापना और लोक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) के निर्माण के लिए प्रक्रियाओं की शुरुआत करके सूचना प्रबंधन प्रणाली को और मजबूत किया गया । वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम और बैंकिंग विनियमन अधिनियम से संबंधित कई संशोधन किए गए/कानून पेश किए गए।

X.2 इस परिप्रेक्ष्य में, शेष अध्याय को आठ खंडों में विभाजित किया गया है। अगले खंड में रिज़र्व बैंक की अपनी संचार रणनीति और प्रक्रियाओं के संबंध में प्रमुख पहल को प्रस्तुत किया गया है । खंड 3 में अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों सहित रिज़र्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की चर्चा की गई है। खंड 4 में सरकारों और बैंकों के बैंकर के रूप में रिज़र्व बैंक की गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है। खंड 5 में विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन के तौर-तरीकों की समीक्षा की गयी है। खंड 6 में अनुसंधान गतिविधियों के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें सांविधिक रिपोर्ट और प्रमुख शोध प्रकाशन में शामिल हैं। खंड 7 में सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) की गतिविधियों के बारे में बताया गया है। खंड 8 में विधि विभाग की गतिविधियों को प्रस्तुत किया गया है । अंतिम खंड में समापन निष्कर्ष दिए गए हैं।

2. संचार प्रक्रियाएं

X.3 संचार विभाग (डीओसी) की कार्यप्रणाली जनता के साथ परस्पर संवाद द्वारा संचालित की जाती है, जो रिज़र्व बैंक की नीतियों के प्रसार में पारदर्शिता, स्पष्टता, परिशुद्धता, समयबद्धता और विश्वसनीयता के उद्देश्य से प्रेरित है। जनता के विश्वास को बढ़ाने और उनकी प्रत्याशाओं को पूरा करने के युक्तिपूर्ण उद्देश्यों ने ही नीतिगत घटनाक्रमों/पहलों के प्रसार और रिज़र्व बैंक की वेबसाइट, मीडिया इंटरफ़ेस, अनौपचारिक कार्यशालाओं, और सोशल मीडिया जैसे कई चैनलों के माध्यम से उनके औचित्य का मार्ग प्रशस्त किया है।

X.4 अतीत में, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को अपने सार्वजनिक संचार की प्रकृति और माध्यम में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। वर्ष 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) बाद से, पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर प्रसार संचार की पहचान बन गए थे, जिनकी परीक्षा कोविड-19 महामारी के दौरान हुई। वित्तीय स्थिरता संबंधी संचार अब सामान्य और संकट दोनों समय में केंद्रीय बैंकों के संचार का एक अभिन्न हिस्सा है और उन्होंने इसमें मौद्रिक नीति संचार को भी जोड़ दिया है, जो केंद्रीय बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यनीति के प्रति जागरूकता बढ़ाने में योगदान करते हैं। इस तरह के संचार जनता से अधिक से अधिक जुड़ते हैं और केंद्रीय बैंकों के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान बना देते हैं। हालाँकि, महामारी जैसे संकट के समय में ये चुनौतियाँ बहुत बड़ी हो गई हैं (बॉक्स X.1)।

बॉक्स X.1
महामारी के दौरान केंद्रीय बैंक का संचार

केंद्रीय बैंक संचार का उपयोग अपनी नीतियों और विनियमों की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में करते हैं। कोविड-19 के मद्देनजर संचार की प्रकृति और माध्यम में प्रमुख बदलाव आए हैं, जो लगातार विकसित हो रहे हैं।

ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र

चूंकि आर्थिक स्थिति में उत्तरोत्तर परिवर्तन अचानक, बेहद अनियमित और बेतरतीब थे, इसलिए महामारी के दौरान केंद्रीय बैंक के संचार का ध्यान इन पर केंद्रित हो गए: (ए) महामारी के परिप्रेक्ष्य में उठाए गए कई उपायों के इरादे और औचित्य को सुदृढ़ करना; (बी) नीतिगत उपायों के संबंध में कुछ अग्रगामी मार्गदर्शन प्रदान करना, खासकर जब विस्तारित अवधि के लिए प्रतिबद्ध हो; (सी) किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए तत्काल मूल्यांकन प्रदान करके वित्तीय स्थिरता संबंधी आश्वासन देना; (डी) किसी भी हड़बड़ी वाली प्रतिक्रिया को रोकने के लिए आर्थिक एजेंटों की प्रत्याशाओं का प्रबंधन, जो समस्या को बढ़ा सकता है; (ई) सभी सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा समन्वित दृष्टिकोण पर आश्वासन देने के लिए विनिर्दिष्ट अधिदेश से परे बाजारों और गतिविधियों की श्रेणी को कवर करना; (एफ) डिजिटल बैंकिंग में सुरक्षा विशेषताओं के बारे में आम लोगों को जागरूक बनाना क्योंकि अधिकांश लोग डिजिटल लेनदेन करने लगे हैं; और (जी) अनिश्चितताओं के कारण संचार की प्रायिकता में वृद्धि।

केंद्रीय बैंक के गवर्नर आम तौर पर महामारी के दौरान आर्थिक स्थिति के अपने आकलन को ध्यान में रखकर औचित्यपूर्ण उपायों की घोषणा करने में सामने से मोर्चा संभालते हैं, और वित्तीय स्थिरता की स्थिति पर विश्वास पैदा करते हैं, और साथ ही यह सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय स्थिरता की सुदृढ़ता को सुधारने का नियमित काम भी जारी रहे। कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों के मद्देनजर, जनता, बाजार सहभागियों और अन्य हितधारकों के सदस्यों के साथ डिजिटल प्लेटफार्मों पर उच्चतम स्तर से प्रत्यक्ष संवाद मुख्य आधार बन गए। लगभग सभी केंद्रीय बैंकों ने आर्थिक पुनरुद्धार की प्रक्रिया का समर्थन करने, किसी भी प्रकार की समय-पूर्व चलनिधि की निकासी से बचने और मौद्रिक नीति को समय-पूर्व सख्त करने से बचने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। हितधारक केंद्रीय बैंकों की कार्रवाइयों के मायने उनके संचार, कार्रवाई और संकेतों से निकालते हैं। (शक्तिकांत दास, 2021)।

साधन

महामारी में संचार के माध्यमों में भी बदलाव आया जहां सुव्यवस्थित संचार माध्यमों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे गैर-पारंपरिक साधनों का प्रयोग करके, विशिष्ट लक्ष्य समूहों के अनुरूप भेजे जाने वाले संदेशों की छंटाई करके और सीधे जनता तक पहुंचने के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग करके अनौपचारिक, असंरचित संचार माध्यम जुड़ गए। संचार में पारदर्शिता, सरलता और सक्रियता ने विश्वास को मजबूत किया और भयानक संकट के इस दौर में इसका लाभ मिला। रिज़र्व बैंक ने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से नियमित रूप से जन जागरूकता अभियान चलाया और इन अभियानों पर मिली प्रतिक्रिया की निगरानी की गयी। इसने सोशल मीडिया पर नजर रखने और उसपर ध्यान देने के लिए एक सोशल मीडिया कमांड सेंटर (एसएमसीसी) भी बनाया है।

घर से कार्य (डब्ल्यूएफएच) की परिस्थिति पर बढ़ती निर्भरता के बीच, संचार के डिजिटल साधनों को बल मिला। सोशल मीडिया पर लाइवस्ट्रीमिंग के माध्यम से केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के कार्यक्रमों को सहजता से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर प्रमुख केंद्रीय बैंकों के प्रत्यक्ष संचार में विश्वास उनके सोशल मीडिया अकाउंट फॉलोअर्स में वृद्धि से परिलक्षित हुआ। उदाहरण के लिए, इस अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक के ट्विटर हैंडल के फॉलोअर्स की संख्या एक मिलियन से अधिक हो गई। कोविड-19 संसाधनों पर केंद्रित पोर्टल बनाने, अनुभव साझा करने, विशेष रूप से उत्पादन के बारे में और नियमित विज्ञप्तियों के प्रसार के मामले को लेकर कई केंद्रीय बैंक अंतरराष्ट्रीय संगठनों में शामिल हुए।

धोखाधड़ी और फर्जी सूचनाओं की जाँच करना

जहां कोविड-19 से संबंधित सामाजिक प्रतिबंधों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों ने कारोबार निरंतरता और सुचारू कामकाज में सहयोग प्रदान करने के लिए अच्छा काम किया, वहीं केंद्रीय बैंकों ने वित्तीय परिदृश्य को सहारा

(जारी)

प्रदान करने के लिए डिजिटल बैंकिंग में जनता के विश्वास को सुदृढ़ किया। केंद्रीय बैंकों ने सुरक्षित सोशल बैंकिंग प्रथाओं पर लोगों को शिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर अपने सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल किया। वित्तीय शिक्षा के लिए ये प्रयास काम के साबित हुए क्योंकि लॉकडाउन के दौरान फ़िशिंग, वित्तीय धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराधों में लिप्त कुछ धोखाधड़ी संस्थाओं द्वारा की जाने वाली शरारतें बढ़ गई थी। वित्तीय संस्थाओं के साथ-साथ बैंकनोट्स और कोरोना वायरस के बीच लिंक जैसे लेनदेन की प्रकृति के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विनिवेश और अफवाहों की बढ़ती घटनाओं को केंद्रीय बैंक के अभियानों द्वारा निपटा गया। उनमें से कुछ ने मार्च 2020 में तीन संदेशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वक्तव्य जारी किए: (i) बैंकनोट से संक्रमण का कोई विशेष खतरा नहीं है, (ii) नकदी की आपूर्ति सुरक्षित है, और (iii) खुदरा विक्रेता नकदी स्वीकार करना जारी रखेंगे।

ध्यान देना

जहां महामारी के दौरान विस्तृत आर्थिक आंकड़ों के प्रवाह बुरी तरह प्रभावित हुए, वहीं दबाव बिंदुओं का त्वरित और यथार्थवादी मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस की गयी। इसके बाद, केंद्रीय बैंकों ने जनता की धारणा को जानने और सीधे जनता के प्रतिनिधियों को सुनने के लिए अपने नियमित सूचना प्रवाह को पूरक बना लिया। केंद्रीय बैंक के प्रत्यक्ष संचार ने लोगों के सही नब्ज़ को पकड़ लिया और इससे विश्वास को बनाए रखने और महामारी के दौरान विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद मिली। रिज़र्व बैंक ने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से नियमित रूप से जन जागरूकता अभियान चलाया और इन अभियानों के संबंध में मिलने वाली प्रतिक्रिया पर नज़र रखा।

मुख्य सार

इस प्रकार, जहां कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए अप्रत्याशित रूप से कार्रवाई की, वहीं प्रत्यक्ष और अधिकाधिक निरंतर संवाद का फायदा हुआ और प्रतिकूल प्रभाव को कम करने एवं अत्यधिक अनिश्चित समय में बाजारों को स्थिर करने के उपायों का समर्थन करने में इससे मदद मिली।

संदर्भ:

8 मार्च 2021 को टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का साक्षात्कार।

X.5 बाजार में व्याप्त कई साम्यावस्था को देखते हुए, न केवल तथ्यों के बारे में जनता को अवगत कराना बल्कि किसी भी गलतफहमी से बचाव करना भी महत्वपूर्ण है, जिसका परिणाम स्वत: साधक भविष्योक्ति के रूप में होता है जो संतुलन को न्यून करने का कारण बनती हैं। आत्मविश्वास को बहाल करने की आवश्यकता है ताकि अपेक्षाएं स्थिर हो सके। इन विचारों ने वर्ष 2020-21 के दौरान रिज़र्व बैंक की समग्र संचार नीति को संचालित किया, जिसे असुरक्षित, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट (वीयूसीए) समय के तौर पर चित्रित किया गया। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए रिज़र्व बैंक ने संचार रणनीति में प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया को सबसे आगे रखा।

X.6 इसलिए, विभाग ने वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से रिज़र्व बैंक की नीतियों का प्रसार किया; आवश्यकता-आधारित औपचारिक और अनौपचारिक वर्चुअल मीडिया कार्यशालाओं के माध्यम से रिज़र्व बैंक की नीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाया; बहुभाषी और प्रगाढ़ बहु-सांस्कृतिक समाज के साथ अपने जुड़ाव को गहरा किया। सोशल मीडिया अभियानों के लिए स्थानीय भाषाओं के उपयोग के माध्यम से जन जागरूकता प्रयासों की पहुंच को व्यापक बनाकर; और उनकी बेहतर समझ के लिए जनता के बीच अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं जवाबदेही तथा विश्वसनीयता बढ़ाने के अंतर्निहित उद्देश्य से, सुविचारित रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय मीडिया से जुड़े रहकर इसे सुगम बनाया गया। बदले में, केंद्रीय बैंक के अधिदेश, अभिशासन, नीतियों, परिचालन और परिणामों के लिए औचित्य को सही ठहराने में मदद मिली, इस प्रकार अनिश्चितता को कम करने और एक सार्वजनिक संवाद को सुविधाजनक बनाने में मदद मिली जो उम्मीदों का सहारा बन सकता है और बेहतर नीतियों को बढ़ावा दे सकता है।

वर्ष 2020-21 की कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.7 पिछले साल, विभाग ने *उत्कर्ष* के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- महत्वपूर्ण विनियामकीय और बैंकिंग संबंधी मुद्दों पर मीडिया के लिए कार्यशालाएं/ सत्र चलाना (पैरा X.8);

- जन जागरूकता कार्यक्रमों और सोशल मीडिया में मौजूदगी के माध्यम से समाज के साथ संबंध को प्रगाढ़ बनाना (पैरा X.9 – X.12); और
- अंतरराष्ट्रीय अनुभव के अनुरूप सोशल मीडिया निगरानी व श्रवण के लिए 'सोशल मीडिया कमान केंद्र' के निर्माण के लिए प्रयास किया जाएगा (पैरा X.13)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

संचार नीति

X.8 रिज़र्व बैंक की संचार नीति को तकनीकी प्रगति, संचार के साधनों में परिवर्तन और अन्य गतिविधियों को अपनाने के लिए अद्यतन किया गया। अद्यतन नीति में संचार नीति के उद्देश्य, लक्षित समूह, माध्यम एवं साधन और परिचालन प्रथाएं शामिल हैं, और क्षेत्रीय स्तर के संचार के लिए दिशानिर्देशों को सम्मिलित किया गया है। यद्यपि सामाजिक दूरी संबंधी मानदंडों ने कुछ गतिविधियों को प्रभावित किया, तथापि विभाग ने जनवरी-फरवरी 2021 के दौरान मीडिया के लिए वर्चुअल और भौतिक कार्यशालाओं का सहारा लिया और वर्ष के दौरान अनौपचारिक ब्रीफिंग की।

लक्ष्य-विशिष्ट संचार

X.9 अलग-अलग उम्र/हित समूहों तक पहुँच बनाने के उद्देश्य से तदनुकूल संचार शुरू किया गया। उदाहरण के लिए, रिज़र्व बैंक की सभी कोविड-19 संबंधित उपायों तक आसानी से पहुँच के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट के मुख पृष्ठ पर अलग टैब बनाया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से लोक हित के अनुरूप संदेश जारी किए गए और इन्हें रिज़र्व बैंक की वेबसाइट के पृष्ठ *'आरबीआई कहता है'* और यूट्यूब चैनल के तहत रखा गया।

आरबीआई वेबसाइट 2.0

X.10 वर्ष 2020-21 के दौरान, सभी हितधारकों के साथ अधिक प्रभावी और आकर्षक संचार के लिए एक पुन: डिज़ाइन किए गए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट के विकास संबंधी कार्य उत्तम श्रेणी के डिजिटल अनुभव प्लेटफॉर्म (डीएक्सपी) के माध्यम से किया गया।

सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसार

X.11 महामारी की शुरुआत होने के साथ जहां संगठनों ने बड़े पैमाने पर डिजिटल संचार और ऑनलाइन काम के माहौल की ओर रुख किया, वहीं सोशल मीडिया संचार का एक प्रमुख माध्यम बन गया। तदनुसार, रिज़र्व बैंक के ट्विटर हैंडल @RBI के फॉलोअर्स की संख्या एक मिलियन से पार करके 31 मार्च 2021 को 1.15 मिलियन तक पहुँच गयी, जो फॉलो किए जाने वाले दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सबसे बड़ा है। रिज़र्व बैंक के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबरों की संख्या 31 मार्च 2021 तक 76,100 तक थी, जिसका उपयोग व्यापक रूप से मौद्रिक नीति घोषणाओं के लाइव प्रसारण, रिज़र्व बैंक के शीर्ष प्रबंधन के भाषणों एवं साक्षात्कारों के प्रकाशन, और वित्तीय शिक्षा के लिए किया जाता है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके जन जागरूकता पहुँच को बढ़ाना

X.12 ज्योंही कोविड-19 की अवधि में डिजिटल लेनदेन कई गुना बढ़ गए, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और डिजिटल बैंकिंग, नामांकन सुविधा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाओं और साइबर सुरक्षा जैसे विभिन्न पहलुओं पर लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता महसूस की गई। वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने हिंदी, अंग्रेजी और ग्यारह क्षेत्रीय भाषाओं में सार्वजनिक जागरूकता संदेशों के व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए अपने दूसरे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @RBIsays का सक्रिय रूप से उपयोग किया। जन जागरूकता पर नए सोशल मीडिया क्रिएटिव को वर्ष 2020-21 के दौरान हर महीने कम से कम एक बार पोस्ट किया गया। *'आरबीआई कहता है'* माइक्रोसाइट को नियमित रूप से जन जागरूकता अभियानों संबंधी सामग्री के साथ अपडेट किया जाता है, जब कभी वे टेलीविजन, समाचार पत्रों, डिजिटल और सोशल मीडिया

सारणी X.1: सार्वजनिक जागरूकता अभियानों के लिए विषय-वस्तु की सूची

अवधि	अभियान
अक्टूबर – नवंबर 2020	1. नामांकन और निपटान की सुविधा - समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, होर्डिंग्स, वेबसाइट और एसएमएस।
दिसंबर 2020 – जनवरी 2021	2. सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग (साइबर सुरक्षा) - समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, होर्डिंग्स और वेबसाइट।
फरवरी 2021	3. वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 के दौरान तीन विषयों, अर्थात (i) समय पर चुकौती और ऋण इतिहास का निर्माण, (ii) केवल औपचारिक संस्थानों से उधार लेना, और (iii) जिम्मेदार उधारी पर टीवी और रेडियो में ई-पोस्टर और ऑडियो-विज़ुअल स्पॉट का प्रसारण।
मार्च 2021	4. डिजिटल बैंकिंग की सुविधा पर एक मल्टी-मीडिया अभियान - समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, होर्डिंग्स, सिनेमा थिएटर, वेबसाइट और एसएमएस।
	5. डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह के दौरान सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग - साइबर सुरक्षा पर प्रिंट, डिजिटल और होर्डिंग में अभियान।
	6. टीवी और रेडियो पर कार्ड की सीमा तय करने संबंधी अभियान।

प्लेटफार्मों के माध्यम से जारी किए जाते हैं (टेबल्स X.1 - X.3) । इसके अलावा, माइक्रोसाइट को एक आकर्षक रूप देने के लिए नए सिरे से तैयार किया गया, और सामग्री को आसान तरीके से एक्सेस करने के लिए संरचना की गई।

सारणी X.2: सोशल मीडिया पर जारी संदेश

अवधि	संदेश/पोस्ट
जुलाई 2020	1. सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के संबंध में 13 भाषाओं में ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट्स (जीआईएफ) - *पहचान की चोरी*
	2. सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के संबंध में 13 भाषाओं में जीआईएफ - *अवांछित कॉल / लिंक का जवाब नहीं देना*
	3. सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के संबंध में 13 भाषाओं में जीआईएफ - *यूपीआई आधारित भुगतान लिंक*
	4. सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के संबंध में 13 भाषाओं में जीआईएफ – *दोषपूर्ण ऐप्स के इन्स्टॉलेशन से बचें*
अगस्त 2020	5. सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के संबंध में 13 भाषाओं में जीआईएफ - *फोन / ईमेल / एसएमएस पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करने के लिए*
	6. रिज़र्व बैंक गवर्नर द्वारा द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की प्रमुख बातों के संबंध में पोस्ट
	7. घर से सुरक्षित रूप से लेनदेन करके स्वतंत्रता का जश्न मनाने संबंधी पोस्ट
सितंबर 2020	8. सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के बारे में सावधानी बरतने संबंधी पोस्ट - *कार्ड की जानकारियों को साझा नहीं करने के लिए*
	9. सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के बारे में सावधानी बरतने संबंधी पोस्ट - *ऑनलाइन लेनदेन के लिए सुरक्षित वेबसाइटों का उपयोग करना*
	10. खाते में धोखाधड़ी लेनदेन के मामले में ग्राहक की सीमित देयता संबंधी पोस्ट
	11. श्री अमिताभ बच्चन, ब्रांड एम्बेसडर के साथ विभिन्न विषयों पर जनता के लिए जागरूकता संदेश
अक्टूबर 2020	12. श्री अमिताभ बच्चन के साथ 13 भाषाओं में विभिन्न विषयों पर जागरूकता संदेश
नवंबर 2020	13. नामांकन और निपटान सुविधा संबंधी दो पोस्टर
दिसंबर 2020	14. रिज़र्व बैंक गवर्नर द्वारा मौद्रिक नीति की घोषणा की प्रमुख बातों से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट
	15. अनधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म / मोबाइल ऐप के विरुद्ध सोशल मीडिया सावधानी संबंधी पोस्ट
	16. *ऋण किस्तों का समय पर चुकौती* - विषय पर 13 भाषाओं में ट्विटर और फेसबुक (एफबी) पोस्ट के बाद ट्विटर पोल
जनवरी 2021	17. *नामांकन और निपटान सुविधा, फर्जी पेशकश, सीमित देयता और लेनदेन की सीमा निर्धारित करना* - विषयों पर 13 भाषाओं में ट्विटर और एफबी पोस्ट के बाद ट्विटर पोल
फरवरी 2021	18. रिज़र्व बैंक गवर्नर द्वारा मौद्रिक नीति की घोषणा की प्रमुख बातों संबंधी सोशल मीडिया पोस्ट।
	19. *औपचारिक स्रोतों से ऋण, जिम्मेदार उधारी और समय पर चुकौती* – विषय पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह के पोस्टर और वीडियो लिंक।
मार्च 2021	20. ट्विटर और एफबी पर साइबर सुरक्षा संबंधी वीडियो जारी करना।
	21. *जोखिम बनाम प्रतिलाभ, सैशे पोर्टल पर शिकायत करना, कार्ड से छेड़छाड़ / चोरी होने के मामले में बैंक को सूचित करना और बैंक के साथ मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करना* - तीन विषयों में से प्रत्येक पर तेरह भाषाओं में ट्विटर और एफबी पोस्ट के बाद ट्विटर पोल।
	22. भारतीय रिज़र्व बैंक संग्रहालय, कोलकाता में अस्थायी प्रदर्शनी के बारे में ट्विटर और एफबी पर पोस्ट।

सारणी X.3: अत्यधिक प्रभावशाली कार्यक्रमों की सूची

चैनल	अवधि
1. दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो	अक्टूबर 2020 - मार्च 2021
2. *कौन बनेगा करोड़पति* (केबीसी) 2020	सितंबर 2020 - दिसंबर 2020
3. इंडियन प्रीमियर लीग 2020	सितंबर 2020 - नवंबर 2020
4. भारत-ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज 2020	नवंबर 2020 - जनवरी 2021
5. भारत-इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज़ 2021	मार्च 2021

X.13 रिज़र्व बैंक ने सोशल मीडिया पर नज़र रखने और गौर करने के लिए एक सोशल मीडिया कमांड सेंटर (एसएमसीसी) बनाया।

अन्य पहल

X.14 सामयिक परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालने और सामयिक मुद्दों को समझने तथा बैंकिंग, कुछ वित्तीय संस्थाओं, रिज़र्व बैंक के उपायों और हित संबंधी अन्य मुद्दे के बारे में किसी भी गलत जानकारी को दूर करने के अलावा केंद्र सरकार के तथ्य-जाँच करने वाले पोर्टल्स, सोशल मीडिया हैंडल के साथ मिलकर काम करने के लिए व्यापक प्रयास किए गए।

आरबीआई संग्रहालय

X.15 कोलकाता स्थित आरबीआई संग्रहालय मुद्रा, स्वर्ण और रिज़र्व बैंक के उद्भव संबंधी कहानियों को अपनी कलाकृतियों, प्रदर्शन, प्रौद्योगिकी और खेलों के माध्यम से बताता है। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष में ज़्यादातर समय आगंतुकों के लिए बंद रखने के बाद संग्रहालय को 18 जनवरी 2021 को फिर से खोल दिया गया। रिज़र्व बैंक संग्रहालय उन लोगों के लिए एक वर्चुअल टूर की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा है जो व्यक्तिगत रूप से संग्रहालय का दौरा करने में असमर्थ हैं। रिज़र्व बैंक, भारतीय अर्थव्यवस्था, रिज़र्व बैंक संग्रहालय के साथ-साथ जनता को वित्तीय साक्षरता संदेशों से संबंधित व्यापक प्रसार सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने @therbimuseum शीर्षक के तहत अपना दूसरा फेसबुक पेज लॉन्च किया।

वर्ष 2021-22 की कार्य-योजना

X.16 वर्ष 2021-22 के दौरान, रिज़र्व बैंक के संचार माध्यमों को और मजबूत किया जाएगा, और *उत्कर्ष* के तहत निम्नलिखित लक्ष्यों के लिए प्रयास किए जाएंगे:

- रिज़र्व बैंक संग्रहालय का एक नया खंड जनता के लिए खोलना, जो रिज़र्व बैंक के कार्यकलापों और कार्यों के लिए समर्पित होगा;
- बेहतर सूचना संरचना के साथ रिज़र्व बैंक की वेबसाइट को सशक्त करना;
- महत्वपूर्ण विनियामकीय और बैंकिंग से संबंधित मुद्दों पर क्षेत्रीय मीडिया के लिए वर्चुअल/भौतिक कार्यशालाओं/सत्रों का संचालन जारी रखना; तथा
- समाज के साथ जुड़ाव को और गहरा करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रमों, सोशल मीडिया की मौजूदगी और संचार के अन्य माध्यमों का उपयोग करना।

3. अंतरराष्ट्रीय संबंध

X.17 वर्ष 2020-21 के दौरान महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, रिज़र्व बैंक ने आर्थिक और वित्तीय संबंधों को और मजबूत किया, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय संगठनों (आईओ) और बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ। अंतरराष्ट्रीय विभाग (आईडी) कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संवाद को वर्चुअल माध्यमों से स्थापित करने में लगा हुआ है।

वर्ष 2020-21 की कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.18 विभाग ने वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना (आईएफए) से जुड़े मुद्दों, जिनके अंतर्गत 16वीं कोटा की सामान्य समीक्षा (जीआरक्यू), उधार संबंधी द्विपक्षीय करार (बीबीए) और आईएमएफ की उधार संबंधी नई व्यवस्थाएँ

(एनएबी) शामिल हैं, पर अनुवर्ती कार्रवाई (*उत्कर्ष*) [पैरा X19 – X.20];

- आईएमएफ के साथ अनुच्छेद-IV परामर्श (*उत्कर्ष*) [पैरा X.21];
- मौजूदा सार्कफाइनैन्स के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकलापों को पूरा करना, जिसके अंतर्गत स्वैप सहयोग, क्षमता वर्धन, संयुक्त अनुसंधान शामिल है *(उत्कर्ष)* [पैरा X.22 -X.24];
- भारत द्वारा वर्ष 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण किए जाने के मद्देनज़र ब्रिक्स बॉन्ड फंड (बीबीएफ), आकस्मिक आरक्षित निधि व्यवस्था (सीआरए) और अन्य पहलों के जरिए ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग को सुदृढ़ बनाना (*उत्कर्ष*) [पैरा X.25 – X.26];
- वर्ष 2023 में अध्यक्षता संभालने की दृष्टि से तैयारी के तौर पर जी20 के साथ कार्य में तेजी लाना [पैरा X.27];
- बीआईएस बोर्ड के गवर्नरों की द्विमासिक एवं अन्य बैठकों से संबंधित गतिविधियों, वैश्विक वित्तीय प्रणाली समिति (सीजीएफएस) की बैठकों, और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के लिए इनपुट मुहैया कराना [पैरा X.28 – X.30];

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

आईएमएफ और आईएफए से संबंधित मुद्दे

X.19 विभाग ने जी20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप (आईएफए डबल्यूजी) की बैठकों में भाग लिया, और उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) को पूंजी प्रवाह और वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट से संबंधित मुद्दों पर इनपुट प्रदान किए।

X.20 विभाग ने अक्टूबर 2020 में प्रारंभिक चेतावनी अभ्यास; वैश्विक नीतिगत कार्य-योजना; आईएमएफ अभिशासन सुधार; एनएबी का दोहरीकरण; 2016 के नोट खरीद करार (एनपीए) के एक वर्ष का विस्तार; और 2020 के एनपीए में भारत की भागीदारी के संबंध में वर्चुअली आयोजित वार्षिक फंड-बैंक की बैठकों के दौरान रिज़र्व बैंक प्रबंधन को इनपुट प्रदान किए।

X.21 महामारी को देखते हुए, आईएमएफ के साथ अनुच्छेद IV के कार्य को टाल दिया गया। हालांकि, विभाग ने आईएमएफ स्टाफ की यात्रा को वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया। आईएमएफ के अनुच्छेद IV विचार-विमर्श सभा अब जुलाई 2021 में आयोजित होने की संभावना है, जो कि आईएमएफ के करार की शर्तों के अंतर्गत एक निगरानी अभ्यास है। विभाग के अन्य योगदानों में आईएमएफ की विनिमय व्यवस्था और विनिमय प्रतिबंध (एआरईएईआर) संबंधी वार्षिक रिपोर्ट के लिए इनपुट का प्रावधान और समष्टि-आर्थिक नीतिगत सर्वेक्षण और अन्य आईएमएफ एवं विश्व बैंक सर्वेक्षणों में इसकी भागीदारी शामिल है।

ब्रिक्स, सार्क और द्विपक्षीय सहयोग

X.22 सार्कफाइनेन्स (एसएफ) अध्यक्ष के रूप में, रिज़र्व बैंक ने कई पहल किए (बॉक्स X.2)। 40वीं और 41वीं सार्कफाइनेन्स गवर्नर समूह की बैठक (एसएफजीजीएम) वर्चुअल रूप में क्रमशः नवंबर 2020 और मार्च 2021 में आयोजित की गयी जिसमें *सार्कफाइनेन्स सिंक* का उद्घाटन किया गया जो कि सार्क केंद्रीय बैंकों के बीच एक सीमित उपयोगकर्ता समूह सुरक्षित संचार पोर्टल है।

X.23 रिज़र्व बैंक ने 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंट्रल बैंकिंग' और 'द प्रोमिस ऑफ़ फिनटेक: फाइनेंशियल इंक्लूज़न इन द पोस्ट कॉवेड-19 एरा' पर दो वर्चुअल वेबिनार आयोजित किए। जुलाई 2020 में वार्षिक एसएफ डेटाबेस (एसएफडीबी) वर्किंग ग्रुप की बैठक डेटाबेस की गुणवत्ता में सुधार और अनुसंधान का समर्थन करने पर केंद्रित थी। अपने तकनीकी बैठकों के दौरान एसएफ डेटाबेस में डेटा अंतराल को पहचानने और पाटने के प्रयास किए गए।

X.24 क्षमता वर्धन पहल के तहत, भारत में डॉक्टरेट अध्ययन करने हेतु वर्ष 2021 के लिए एसएफ छात्रवृत्ति चार अधिकारियों

बॉक्स X.2
सार्कफाइनेन्स और आरबीआई द्वारा की गयी पहल

सार्कफाइनेन्स (एसएफ) सार्क क्षेत्र के केंद्रीय बैंक गवर्नरों का एक नेटवर्क है, जिसकी स्थापना इस क्षेत्र की व्यापक आर्थिक नीतियों के संबंध में संवाद स्थापित करने और आपसी अनुभवों और विचारों को साझा करने के लिए 9 सितंबर 1998 को की गयी थी। भारतीय रिज़र्व बैंक की अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2020 तक की एसएफ अध्यक्षता को कोविड-19 महामारी की वजह से बढ़ाकर मार्च 2021 कर दिया गया था।

वर्ष के दौरान पूरा किया गया एक प्रमुख कार्य, सार्कफाइनेन्स सिंक (एसएफ सिंक) का निम्नलिखित विशेषताओं के साथ किया गया विकास था:

- यह विभिन्न एसएफ पहलों के तहत होने वाली गतिविधियों को ट्रैक करेगा;
- इस पोर्टल के माध्यम से व्यवस्थागत सहायता, कार्यक्रम, सेमिनार और बैठकों का समन्वय किया जाएगा;
- पोर्टल शोधकर्ताओं को न केवल दस्तावेजों को साझा करने में सक्षम करेगा बल्कि सहयोगपूर्ण अध्ययनों पर समयोचित संवादों में सक्रिय रूप से भाग लेगा; तथा
- डेटा और दस्तावेज़ रिपॉजिटरी खंड एसएफ सिंक में अभिलेखागार का निर्माण करेगा।

रिज़र्व बैंक द्वारा दो नई पहलों की शुरुआत की गयी। सबसे पहले, 'रिटायर्ड रिसोर्स पर्सन्स की निर्देशिका' लॉन्च की गई, जो मौद्रिक नीति; समष्टि-आर्थिक अनुसंधान; वित्तीय समावेशन; और भुगतान प्रणाली सहित 14 केंद्रीय बैंक गतिविधियों पर विशेषज्ञों का एक पूल प्रदान करती है। दूसरा, वित्तीय समावेशन प्लेटफॉर्म को सार्क देशों में वित्तीय समावेशन और साक्षरता संबंधी पहलों की सूचना भंडार के रूप में बनाया गया, जो इस क्षेत्र में एक ज्ञान नेटवर्क विकसित करेगा।

सार्क देशों के लिए वर्ष 2019-22 के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था का एक संशोधित फ्रेमवर्क लागू किया गया। भूटान, मालदीव और श्रीलंका को स्वैप सहायता प्रदान की गई, जो कि फरवरी 2020 से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का है।

रिज़र्व बैंक फिनटेक और वित्तीय समावेशन पर संयुक्त एसएफ सहयोगपूर्ण अध्ययन का नेतृत्व कर रहा है। मार्च 2021 में वार्षिक एसएफ ई-न्यूज़लेटर का पहला अंक जारी किया गया।

आरबीआई की अध्यक्षता का फोकस क्षेत्र केंद्रीय बैंकिंग कार्यों में प्रौद्योगिकी का उपयोग था। रिज़र्व बैंक की एसएफ अध्यक्षता का समापन 2 मार्च 2021 को एसएफ गवर्नर्स के संगोष्ठी में 'केंद्रीय बैंकों में सुपटेक के उपयोग' पर मुख्य सत्र और 'केंद्रीय बैंकों में साइबर सुरक्षा' पर एक पैनल चर्चा' के साथ हुआ (चार्ट 1)।

चार्ट 1: रिज़र्व बैंक की एसएफ अध्यक्षता के तहत गतिविधियों का घटनाक्रम

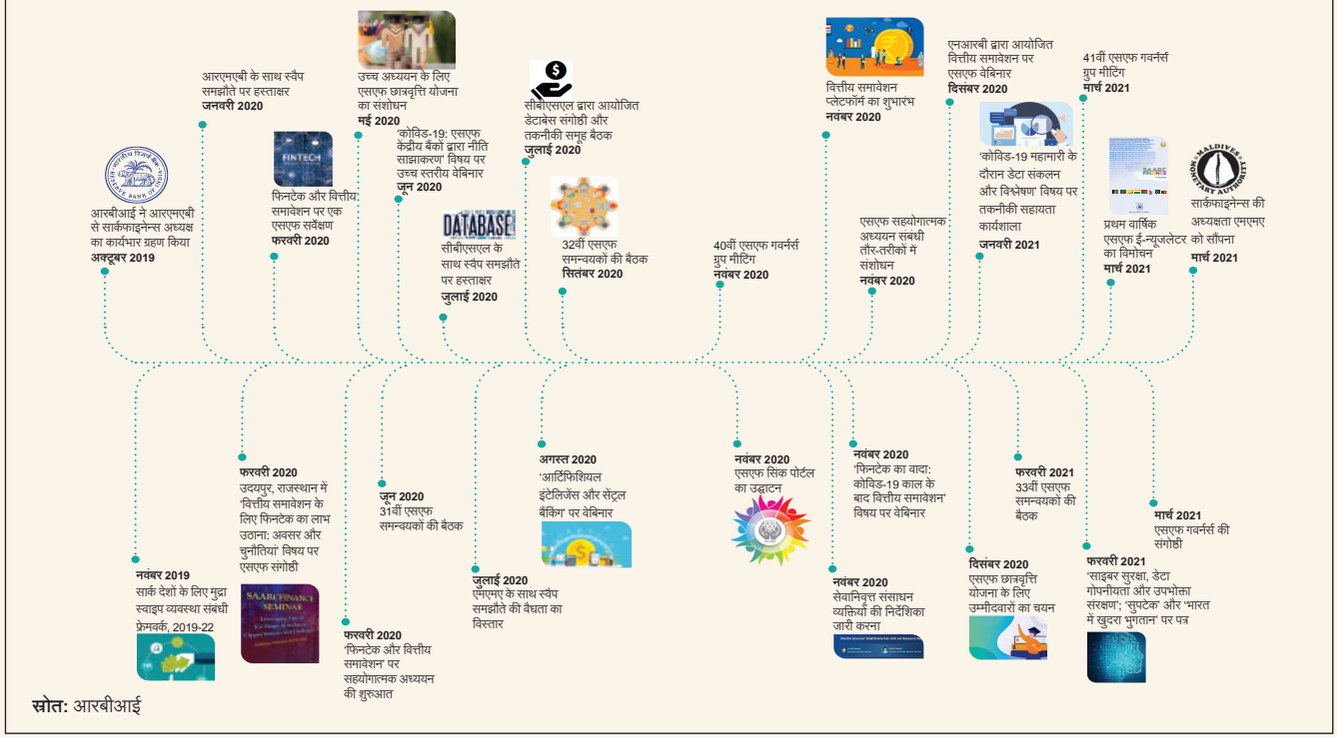

स्रोत: आरबीआई

को प्रदान की गई, जिसमें वित्त मंत्रालय, अफगानिस्तान; बांग्लादेश बैंक; मालदीव मोनेटरी अथॉरिटी और नेपाल राष्ट्र बैंक के अधिकारी शामिल हैं। रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2021 में 'कोविड-19 महामारी के दौरान डेटा संकलन और विश्लेषण' विषय पर श्रीलंका, नेपाल और भूटान के केंद्रीय बैंकों के अधिकारियों के साथ तकनीकी जानकारी साझा की। सुपटेक, खुदरा भुगतान, साइबर सुरक्षा, डेटा और उपभोक्ता संरक्षण क्षेत्रों को शामिल करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किए गए पेपर्स फरवरी 2021 में सार्क केंद्रीय बैंकों को परिचालित किए गए। श्रीलंका और भारत के सह-नेतृत्व में 'वित्तीय क्षेत्र के विनियामकीय व्यवस्था की तुलना' पर एसएफ सहयोगपूर्ण अध्ययन मार्च 2021 में आयोजित 41वें एसएफजीजीएम में प्रस्तुत किया गया।

X.25 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों ने तीसरे ब्रिक्स सीआरए टेस्ट रन का सफलतापूर्वक संचालन किया। इसने सीआरए की परिचालनगत तत्परता को और बढ़ा दिया है। सीआरए के अंतर्गत विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों ने वर्ष 2020 में ब्रिक्स आर्थिक बुलेटिन जारी किया, जो एक वार्षिक दस्तावेज है। बीबीएफ के परिचालन और अभिशासन संबंधी पहलुओं का ख़ाका तैयार किया गय और पहल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए। ब्रिक्स सदस्यों के बीच सूचना सुरक्षा और भुगतान प्रणाली संबंधी सहयोग को क्रमशः ब्रिक्स रैपिड इन्फोर्मेशन सेक्यूरिटी चैनल (बीआरआईएससी) और ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स (बीपीटीएफ) द्वारा बढ़ावा दिया गया।

X.26 भारत ने 1 जनवरी 2021 को ब्रिक्स अध्यक्ष का पदभार संभाला। विभिन्न ब्रिक्स कार्य-क्षेत्रों के तहत, जनवरी से मार्च 2021 तक तकनीकी समूहों की 16 बैठकें आयोजित की गईं। पहली ब्रिक्स प्रतिनिधियों की बैठक और ब्रिक्स सीआरए स्टैंडिंग कमेटी की बैठक क्रमशः फरवरी और मार्च 2021 में हुई।

जी20 और इसके कार्य समूह

X.27 अन्य जी20 सदस्यों की सहमति से भारत की जी20 अध्यक्षता को वर्ष 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। विभाग ने जी20 वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों (एफएमसीबीजी), और वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों (एफसीबीडी) की वर्चुअल बैठकों के लिए इनपुट प्रदान किए। रिज़र्व बैंक ने जी20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप (एफडब्ल्यूजी) और इसके अन्य फोकस समूहों, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप (आईडब्ल्यूजी) और ग्लोबल पार्टनर्शिप ऑन फाइनेंशियल इंक्लुजन (जीपीएफआई) की बैठकों में भी भाग लिया। जी20 इटालियन अध्यक्षता ने हरित कार्य-योजना पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पहले के सस्टेनेबल फाइनेंस स्टडी ग्रुप को सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप (एसएफडबल्यूजी) में बदल दिया है । भारत सरकार (जीओआई) और रिज़र्व बैंक दोनों ही एसएफडब्ल्यूजी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

बीआईएस गतिविधियां

X.28 विभाग ने अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) द्विमासिक बैठकों में चर्चा की गयी कई विभिन्न विषयगत मुद्दों, विशेषकर कोविड-19 प्रेरित नीतिगत प्रतिक्रियाओं और ईएमडीई के लिए मध्यावधि चुनौतियों पर शीर्ष प्रबंधन को सहयोग और विश्लेषणात्मक इनपुट प्रदान करना जारी रखा । विभाग ने बीआईएस समितियों, विशेष रूप से सीजीएफएस की विभिन्न अन्य बैठकों के लिए भी योगदान दिया और शीर्ष प्रबंधन को सहायता भी प्रदान की।

वैश्विक वित्तीय विनियमन संबंधी एफएसबी पहल

X.29 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) वैश्विक वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करने वाली कमजोरियों के आकलन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। विभाग ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली से संबंधित मुद्दों और वित्तीय स्थिरता से संबंधित जोखिमों पर एफएसबी में भारत के रुख को तैयार करने के लिए इनपुट प्रदान किए।

X.30 विभाग ने एशिया के लिए एफएसबी के क्षेत्रीय सलाहकार समूह (आरसीजी) का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें भारत उसके सह-अध्यक्ष के रूप में था । इसने भारत द्वारा महामारी के लिए नीतिगत प्रतिक्रियाओं की जानकारी साझा करने हेतु एफएसबी के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया । विभाग ने एफएसबी के 'टू-बिग-टू-फेल' (टीबीटीएफ)

सुधारों के प्रभावों के मूल्यांकन और गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता से वैश्विक रुझानों और जोखिमों के आकलन के लिए एफएसबी की वार्षिक निगरानी अभ्यास के लिए डेटा के समन्वित प्रस्तुतिकरण में भी योगदान दिया और लाइबोर संक्रमण, संकट की तैयारी, और ओटीसी डेरिवेटिव में सुधारों के कार्यान्वयन संबंधी एफएसबी द्वारा किए गए सर्वेक्षण में इनपुट प्रदान किए।

अन्य गतिविधियां

X.31 डब्ल्यूटीओ के तत्वावधान में भारत की व्यापार नीतियों और प्रथाओं की सातवीं समीक्षा जनवरी 2021 में आयोजित की गई। विभाग ने भारत के सचिवालय रिपोर्ट (एसआर) और सरकार की रिपोर्ट (जीआर) पर सदस्य देशों द्वारा उठाए गए सवालों का समय पर जवाब देकर विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा (टीपीआर) प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसने विश्व बैंक वित्त, प्रतिस्पर्धा और नवाचार (एफसीआई) ग्लोबल प्रैक्टिस टीम के साथ मिलकर काम किया।

X.32 रिज़र्व बैंक ने आईएमएफ के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र (एसएआरटीटीएसी) और दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक (एसईएसीईएन) केंद्र के साथ अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखी। इसके कई अधिकारियों ने जुलाई 2020 से मार्च 2021 के दौरान एसईएसीईएन और एसएआरटीटीएसी द्वारा आयोजित वेबिनार/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लिया। 19 जनवरी 2021 को वर्चुअली आयोजित एसएआरटीटीएसी की अर्धवार्षिक संचालन समिति की बैठक में भी रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व किया गया था। रिज़र्व बैंक ने जी24 और जी30 के अनुसंधान पहलों के लिए समर्थन देना जारी रखा।

X.33 भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था (बीएसए) के तहत छमाही परामर्श अक्टूबर 2020 में आयोजित किया गया। खुदरा भुगतान सेवाओं के साथ ही आर्थिक और वित्तीय बाजार की स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करके बैंक ऑफ जापान (बीओजे) और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच दूसरा वार्षिक वरिष्ठ स्तरीय संवाद (एसएलडी) नवंबर 2020 में आयोजित किया गया।

वर्ष 2021-22 की कार्य-योजना

X.34 वर्ष 2021-22 में, विभाग निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- 16वीं जीआरक्यू, द्विपक्षीय उधारी करार (बीबीए) और आईएमएफ की उधार लेने संबंधी नई व्यवस्था (एनएबी) सहित आईएफए डबल्यूजी से संबंधित मुद्दों पर आगे की कार्यवाही करना (*उत्कर्ष*);
- भारतीय आईएमएफ मिशन द्वारा आईएमएफ अनुच्छेद IV निगरानी का सफलतापूर्वक पूरा करना (*उत्कर्ष*);
- स्वैप सुविधा के माध्यम से सार्क देशों का समर्थन करना जारी रखना (*उत्कर्ष*);
- ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत बीबीएफ, सीआरए और बीआरआईएससी सहित विभिन्न पहलों के तहत कार्य करना जारी रखना (*उत्कर्ष*); तथा
- वर्ष 2023 में अध्यक्षता संभालने के क्रम में जी20 के साथ अपने संबंध को मजबूत करना।

4. सरकारी और बैंक लेखा

X.35 सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) रिज़र्व बैंक की आंतरिक लेखांकन नीतियों के निर्धारण के अलावा बैंकों के बैंक और सरकारों के बैंक के रूप में रिज़र्व बैंक के कार्यों की देखरेख करता है।

वर्ष 2020-21 की कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.36 पिछले साल विभाग ने *उत्कर्ष* के तहत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- केंद्र सरकार की प्रणालियों को उनके ई-प्राप्तियों के प्रत्यक्ष संग्रह और ई-भुगतान करने के लिए रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान – *ई-कुबेर* के साथ एकीकृत करना (पैरा X.37 – X.38)।
- शेष राज्य सरकारों के सिस्टम को *ई-कुबेर* के साथ एकीकृत करना (पैरा X.39);

- गैर-जीएसटी लेनदेन के लिए प्रभावशाली रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करना (पैरा X.40);
- सरकारी लेनदेन के लिए डैशबोर्ड स्थापित करना (पैरा X.41); तथा
- जीएसटी लेनदेन के समन्वय के लिए ऑनलाइन त्रुटि-ज्ञापन (एमओई) समाधान प्रक्रिया के लिए बाकी बचे राज्य सरकारों को एकीकृत करना (पारा X.42)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

केंद्र सरकार के सिस्टम को उनके ई-प्राप्तियों के प्रत्यक्ष संग्रह और ई-भुगतान करने के लिए ई-कुबेर के साथ एकीकृत करना

X.37 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आईसीईजीएटीई) सिस्टम को *ई-कुबेर* के साथ एकीकृत करके सीमा शुल्क, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) जैसे केंद्र सरकार के करों के संग्रह, और एनईएफटी/आरटीजीएस भुगतान मोड के माध्यम से रिज़र्व बैंक के पास सरकारी लेखा में सीधे मुआवजा उपकर जमा करने की व्यवस्था की गयी। यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के अतिरिक्त है, जिसे 1 जुलाई 2019 से इस मोड के माध्यम से एकत्र किया जा रहा है।

X.38 केंद्र सरकार की स्वायत्त निकायों द्वारा ई-भुगतान के लिए ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) प्रणाली को 16 वित्तीय निकायों और उनके उप-स्वायत्त निकायों के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के *ई-कुबेर* के मौजूदा एकीकरण का फायदा उठाते हुए शुरू किया गया (बॉक्स X.3)। *ई-कुबेर* के साथ एसपीएआरएसएच [सिस्टम ऑफ पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन (रक्षा)] सिस्टम के एकीकरण के माध्यम से एनईएफटी/आरटीजीएस का उपयोग करके रक्षा पेंशनरों के पेंशन भुगतान करने के लिए रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यालय भी *ई-कुबेर* से जुड़ गया।

बॉक्स X.3

केंद्र सरकार की स्वायत्त निकायों द्वारा ई-भुगतान के लिए ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सिस्टम

केंद्रीय बजट वर्ष 2014-15 में की गई घोषणा के आधार पर, भारत सरकार (जीओआई) ने सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर गौर करने के लिए व्यय प्रबंधन आयोग (ईएमसी) की स्थापना की थी। रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. बिमल जालान की अध्यक्षता वाली ईएमसी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की, कि सरकार के उधारी लागत को कम करने और एबी को निधि प्रवाह में कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार धीरे-धीरे सभी स्वायत्त निकायों (एबी) को टीएसए प्रणाली के अंतर्गत ला सकती है।

एबी के लिए टीएसए प्रणाली का उद्देश्य सरकारी राशि को बैंक खातों में निष्क्रिय रखे रहने से बचना और सरकार के नकदी प्रवाह को कुशलतापूर्वक प्रबंध करना है। धनराशि जारी करने के लिए 'ठीक समय पर' का सिद्धांत टीएसए प्रणाली के तहत एबी को निधि प्रवाह की दक्षता को बढ़ाता है, जबकि बेहतर नकदी प्रबंधन सुनिश्चित करता है क्योंकि यह आवश्यक पड़ने पर सरकारी खाते से धन की निकासी की सुविधा देता है, और इससे एबी के पास अनुपयोगी अनुदानों के संचय से बचने में भी मदद करता है, जिससे उधार ली गई धनराशि पर लागत कम हो जाता है।

टीएसए फ्रेमवर्क की शुरुआत भारत सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से महालेखा नियंत्रक कार्यालय के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और रिज़र्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली के एकीकरण का लाभ उठाकर की गयी थी। टीएसए प्रणाली के अंतर्गत महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i. रिज़र्व बैंक किसी भी एजेंसी बैंक को शामिल किए बिना संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्राथमिक बैंकर के रूप में कार्य करता है;

ii. एबी और सब-एबी को रिज़र्व बैंक के पास 'समनुदेशन लेखा' खोलना अपेक्षित है और इन लेखा से व्यय सीमा की उपलब्धता के अधीन है;

iii. एबी और उप-एबी के इन लेखा को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग को टैग करके सरकारी लेखा के रूप में माना जाता है; और लेनदेन (नामे/जमा) स्वचालित रूप से भारत सरकार की नकद स्थिति की गणना में शामिल हो जाता है;

iv. एबी और उप-एबी के लेखा में सभी लेनदेन, अंतिम लाभार्थी को ई-भुगतान की सीमाएं और प्रसंस्करण सहित, पीएफएमएस - *ई-कुबेर* एकीकरण के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं;

(जारी)

v. एबी और उप-एबी को दी गई सीमा को गतिशील रूप से बदला (बढ़ा दिया या वापस लिया) जा सकता है। ई-भुगतान निर्देशों के सफल संसाधन से उपलब्ध समनुदेशन की सीमा कम हो जाती है और यदि कोई हो, तो रिज़र्व बैंक की बही में उस सीमा तक समनुदेशन की सीमा को बढ़ा दिया जाता है;

vi. वित्तीय वर्ष के अंत में सभी समनुदेशन सीमाएं समाप्त हो जाती हैं; तथा

vii. सभी भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किए जाते हैं और रिज़र्व बैंक के पास खोले गए एबी के लेखा से कोई भौतिक भुगतान नहीं होता है । विनिर्दिष्ट अंतराल पर आवश्यक सूचनाएं *ई-कुबेर* द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से पीएफएमएस को भेजी जाती हैं।

और ज्यादा एबी और उनके उप-एबी को टीएसए के दायरे में लाने हेतु 1 अगस्त 2020 और 1 अक्टूबर 2020 से दो चरणों में टीएसए प्रणाली का विस्तार करने के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने 12 मई 2020 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया। वर्तमान में, टीएसए प्रणाली से लगभग 900 सब-एबी के साथ कुल 16 एबी जुड़े हैं। प्रथम चरण के कार्यान्वयन के बाद से 1 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक भारत सरकार द्वारा ₹32,325 करोड़ की निवल राशि को सीमा के रूप में समनुदेशित गया है और अब/सब-एबी द्वारा ₹31,351 करोड़ खर्च किए गए हैं। आगे चलकर, इसके फ़ायदों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न प्रकार के भुगतानों के कवरेज के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से किसी विशेष एबी/सब-एबी को भुगतान और इसके लेखांकन और संसाधन सहित कई प्रकार के भुगतानों के कवरेज के संदर्भ में टीएसए प्रणाली का विस्तार हो सकता है। रिज़र्व बैंक द्वारा तकनीकी और परिचालन संबंधी समस्याओं के समय पर निवारण के लिए टीएसए हेल्पडेस्क की भी व्यवस्था की गयी है।

स्रोत: आरबीआई

बाकी बचे राज्य सरकारों के सिस्टम को ई-कुबेर के साथ एकीकृत करना

X.39 वर्ष के दौरान, ई-भुगतान के लिए जहां उत्तर पूर्व से एक राज्य सरकार और एक केंद्र शासित प्रदेश जुड़े, वहीं दो राज्य सरकारों ने परीक्षण कर लिया है और ई भुगतान के लिए जल्द ही *ई-कुबेर* से जुड़ने की उम्मीद है। दो अन्य राज्य सरकारों ने इच्छा व्यक्त की है और वे एकीकरण के लिए तकनीकी अपेक्षाओं की जांच कर रहे हैं।

गैर-जीएसटी लेन-देन के लिए एक प्रभावशाली रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करना

X.40 मानकीकृत प्रणाली के स्वचालित प्रेषण की एक प्रणाली ऐसी राज्य सरकारों के लिए स्थापित की गयी जो पहले से ही *ई-कुबेर* के साथ एकीकृत हैं। रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को रिज़र्व बैंक के *ई-कुबेर* के साथ एकीकृत संबंधित सरकारों के लेनदेन की स्थिति की निगरानी के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान की गई।

सरकारी लेनदेन के लिए डैशबोर्ड स्थापित करना

X.41 *ई-कुबेर* के साथ एकीकृत सरकारों के लिए एक डैशबोर्ड सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन की समस्या के के कारण अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

जीएसटी लेनदेन के समन्वय के लिए ऑनलाइन त्रुटि-ज्ञापन (एमओई) समाधान प्रक्रिया के लिए बाकी बचे राज्य सरकारों को एकीकृत करना

X.42 वर्ष के दौरान, जीएसटी लेनदेन के समन्वय के लिए सात राज्य सरकारों को ऑनलाइन एमओई प्रक्रिया का विस्तार किया गया। जहां तीन राज्य सरकारों ने परीक्षण पूरा कर लिया है और जल्द ही लाइव होने की उम्मीद है, वहीं ग्यारह और राज्य सरकारें परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं।

अन्य पहल

X.43 एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) वेब-आधारित समन्वय प्रणाली सहित सरकारी लेनदेन के संसाधन, समन्वय एवं रिपोर्टिंग और मशीन उपभोज्य प्रारूपों में रिपोर्ट और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्रदान करने और नए भुगतान मोड का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रसीद संग्रह के एजेंसी बैंक द्वारा रिपोर्टिंग को सक्षम बनाने में सुधार करने के लिए कई क्षेत्रों की पहचान की गई।

X.44 टैक्स सूचना नेटवर्क 2.0 के माध्यम से प्रत्यक्ष करों के संग्रह की सुविधा के लिए *ई-कुबेर* के साथ सभी हितधारक

प्रणालियों के एकीकरण; नेपाल में रहने वाले रक्षा पेंशनरों को पेंशन भुगतान सक्षम बनाने; खाता सत्यापन का प्रावधान; और *आधार*-आधारित भुगतान से संबंधित कार्य भी वर्ष के दौरान किए गए।

X.45 नवगठित केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) लद्दाख के साथ-साथ दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के विलय वाले केंद्रों के मामले में आवश्यक व्यवस्था की गई ताकि सरकार के स्तर पर लेखांकन स्वामित्व के सुचारू परिवर्तन की सुविधा मिल सके।

वर्ष 2021-22 की कार्य-योजना

X.46 वर्ष 2021-22 के लिए, विभाग ने *उत्कर्ष* के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य-योजना का प्रस्ताव किया है:

- ई-भुगतान और ई-प्राप्तियों के लिए *ई-कुबेर* के साथ केंद्र और राज्य सरकार की प्रणालियों के एकीकरण के जारी कार्य-योजना को पूरा करना;
- ई-प्राप्तियों और ई-भुगतान लेनदेन की स्व-निगरानी के लिए सरकारों को डैशबोर्ड सुविधा प्रदान करना;
- *ई-कुबेर* में सरकारी शेष की दैनिक स्थिति संसाधन का स्वचालन; तथा
- एजेंसी कमीशन गणना और एजेंसी बैंकों को भुगतान करने की एक स्वचालित प्रक्रिया को लागू करना।

5. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का प्रबंधन

X.47 बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि (एफईआर) के प्रबंधन के लिए सुरक्षा, चलनिधि और प्रतिलाभ के निवेश उद्देश्यों के साथ कार्य करता रहा। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मार्च 2021 में एफईआर में 20.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 15.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

X.48 ऋणात्मक/कम ब्याज दर का माहौल, जिसे आने वाले समय में बने रहने की उम्मीद है, एफईआर के विनियोजन के युक्तिपूर्ण उद्देश्यों से समझौता किए बिना एफईआर को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को चुनौतियां दे रहा है (बॉक्स X.4)।

बॉक्स X.4

निम्न प्रतिफल परिवेश में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि प्रबंधन की चुनौतियाँ

अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दरें पिछले चार दशकों से घट रही हैं और वर्ष 2020 में ये कई देशों में अपने ऐतिहासिक निम्न स्तर पर पहुंच गई हैं (चार्ट 1)। संयुक्त राज्य अमेरिका में 10-वर्षीय बॉन्ड प्रतिफल वर्ष 1981 में 15.8 प्रतिशत के उच्च स्तर से गिरकर वर्ष 2020 में 1 प्रतिशत से नीचे आ गई है। यूरो जोन, जापान और स्विटजरलैंड जैसी कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में नीतिगत दरें और सॉवरेन बॉन्ड प्रतिफल वर्षों से ऋणात्मक हैं।लंबे समय तक ब्याज दर के वातावरण के लिए इसे अत्यंत-निम्न होना वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों में संरचनात्मक परिवर्तनों का प्रतिबिंब है, जिसे सांकेतिक दरों को दो भागों - वास्तविक ब्याज दरें और मुद्रास्फीति/अपेक्षित मुद्रास्फीति में अपघटन करके बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। जहां पिछले कुछ दशकों से वास्तविक दरों में गिरावट देखी जा रही है, वहीं कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों द्वारा अपने लक्ष्यों को मुद्रास्फीति बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद, कम मुद्रास्फीति पिछले एक दशक से एक प्रतिमान बन गया है (चार्ट 2 और 3)।वास्तविक दरों में गिरावट की प्रवृत्ति को संभावित विकास दर में गिरावट, जनसांख्यिकीय कारकों, आय असमानता और सुरक्षित संपत्ति

चार्ट 1: 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल (नोमीनल)

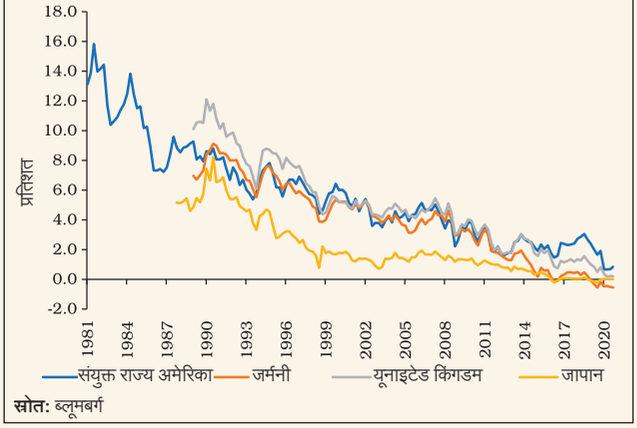

स्रोत: ब्लूमबर्ग

(जारी)

चार्ट 2: 10-वर्षीय सरकारी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बॉन्ड प्रतिफल (वास्तविक)

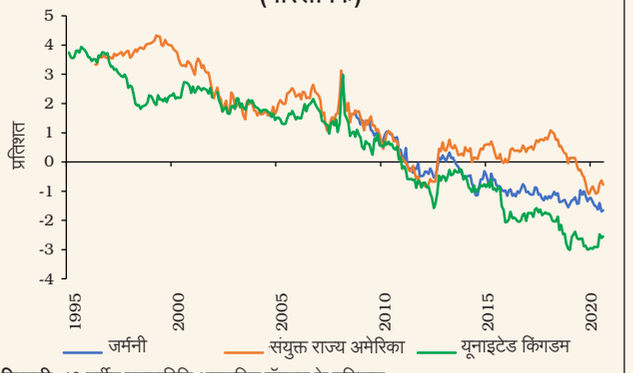

टिप्पणी: 10 वर्षीय मुद्रास्फीति अनुक्रमित बॉन्ड्स के प्रतिफल
स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 3: हेडलाइन मुद्रास्फीति

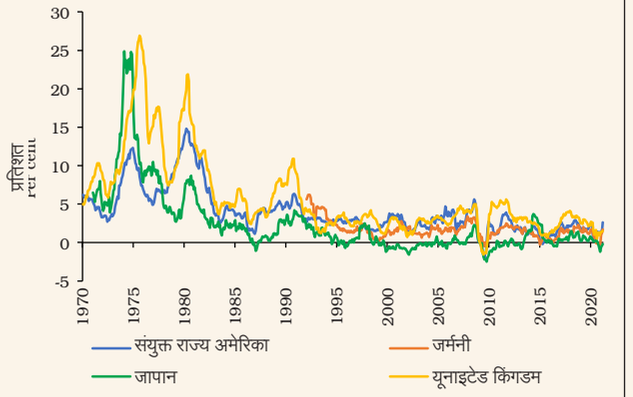

स्रोत: ब्लूमबर्ग

की मांग से संबंधित कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इन कारकों में संरचनात्मक परिवर्तन से संतुलनकारी वास्तविक दरों में गिरावट आई है और उन्हें मध्यम से दीर्घ अवधि तक कम रहने की उम्मीद है। ऐतिहासिक रूप से कम मुद्रास्फीति के वातावरण के कुछ कारण हैं: सीमा पार से आपूर्ति-श्रृंखला एकीकरण, वस्तु की कम कीमतें, कम वेतन वृद्धि, मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं में गिरावट, और पैसे के वेग में गिरावट।

यह कम प्रतिफल वाला वातावरण इसे आम तौर पर आस्ति प्रबंधकों के लिए और विशेष रूप से आरक्षित निधि प्रबंधकों को उनके जोखिम वहन-क्षमता को देखते हुए उनके पोर्टफोलियो से उचित रिटर्न उत्पन्न करने के लिए दुष्कर कार्य बना देता है। विकसित दुनिया भर में ऋणात्मक प्रतिफल देने वाले कर्ज़ के विशाल और बढ़ते ढेर ने इस समस्या को बढ़ा दिया है और पूंजी संरक्षण के लिए चुनौतियां पेश की हैं। इस स्थिति को कोविड-19 महामारी द्वारा और अधिक बढ़ा दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप दुनिया भर में वास्तविक अर्थव्यवस्थाओं को बड़ा नुकसान हुआ है और अभूतपूर्व मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का विस्तार हुआ है।

संरचनात्मक कम प्रतिफल वातावरण भविष्य में काफी समय तक बने रहने की उम्मीद है। इसलिए, आरक्षित निधि प्रबंधक, प्रतिलाभ को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए आरक्षित निधि के प्रबंधन के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण से परे देखने की चुनौती का सामना कर रहे हैं, लेकिन यह भी मूल्यांकन कर रहे हैं कि क्या यह सुरक्षित आस्तियों में निवेश द्वारा पूरा किया जा सकता है क्योंकि यह आरक्षित निधि आस्तियों की एक अनिवार्य विशेषता है। सुरक्षा के अधीन, वे अपने पोर्टफोलियो की अवधि बढ़ाने, नई आस्ति वर्गों, नई मुद्राओं और बाजारों में निवेश, क्रेडिट गुणवत्ता की अपेक्षाओं की छूट, और उनके सोने के शेयरों के सक्रिय प्रबंधन द्वारा आस्ति विविधीकरण को भी बढ़ा सकते हैं। हालांकि, आरक्षित निधि प्रबंधन रणनीतियों का इष्टतम मिश्रण जोखिम वहन-क्षमता, निवेश प्राथमिकताओं, कौशल सेटों और आरक्षित निधि प्रबंधन के समग्र उद्देश्यों पर विचार करना होगा।

संदर्भ:

1. केली, एम. टी. (2019), 'द ग्लोबल इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट: कॉन्सेप्ट्स, एस्टिमेट्स, एंड चैलेंजेज', *फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स डिस्कशन सीरीज*, फेडरल रिज़र्व बोर्ड, वाशिंगटन, डी.सी.
2. लेन, फिलिप आर (2019), 'डिटर्मिनेंट्स ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट', *नेशनल ट्रेजरी मैनेजमेंट एजेंसी*, डबलिन में 28 नवंबर को दिया गया भाषण।

X.49 रिज़र्व बैंक ने फॉरेक्स स्वैप और रिपो परिचालन को बढ़ाने और नए उत्पादों की संभावनाओं की तलाश करते हुए विविधीकरण कार्यनीति के रूप में सोने की खरीद जारी रखी। कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले लॉकडाउन के दौरान, विभाग ने अपनी सामान्य गतिविधियों को जारी रखा और एफईआर प्रबंधन और सिस्टम सुरक्षा को बढ़ाने के साथ-साथ मौजूदा कारोबार निरंतरता व्यवस्था को आगे बढ़ाने के साथ-साथ सभी सर्वोत्तम प्रथाओं का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया।

वर्ष 2020-21 की कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.50 पिछले वर्ष, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- उन्नत जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (*उत्कर्ष*) [पैरा X.51];
- विशिष्ट अनुसंधान इनपुट (*उत्कर्ष*); [पैरा X.52] और
- निवेशों की सुरक्षा में समझौता किए बगैर, लाभकारी विनियोजन के माध्यम से आरक्षित निधियों का प्रभावी विविधीकरण (पैरा X.53)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.51 वर्ष के दौरान, विभाग ने आरक्षित निधि प्रबंधन के लिए जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए मात्रात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाया। इसके अलावा, मौजूदा जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की लगातार समीक्षा की गई, विशेषकर महामारी द्वारा प्रभावित वैश्विक समष्टि-आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए।

X.52 विभाग में समर्पित अनुसंधान इनपुट के लिए एक आंतरिक बाजार अनुसंधान इकाई बनाई गयी।

X.53 सुरक्षा और चलनिधि मानकों का पालन करते हुए विदेशी मुद्रा स्वैप और रिपो बाजारों में परिचालन बढ़ाने, सोने के अधिग्रहण और नए बाजारों/उत्पादों की खोज के लिए आरक्षित निधि के विविधीकरण के लिए कदम उठाए गए थे। निवेश की सुरक्षा से समझौता किए बिना मौजूदा मुद्राओं और उत्पादों में लाभकारी विनियोजन के माध्यम से आरक्षित निधि का प्रभावी विविधीकरण सुनिश्चित किया गया, खासकर कम प्रतिफल वाले ब्याज के माहौल में।

वर्ष 2021-22 की कार्य-योजना

X.54 वर्ष 2021-22 में विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- पोर्टफोलियो विविधीकरण के लिए विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) के विनियोजन के लिए नए आस्ति वर्गों, नए क्षेत्राधिकारों बाजारों का पता लगाना जारी रखना और यदि आवश्यक हो तो प्रक्रिया में बाहरी विशेषज्ञों से सलाह लेना;
- एफईआर प्रबंधन के लिए सामयिक ट्रेजरी प्रबंधन समाधान के रूप में आईटी का लाभ उठाना (*उत्कर्ष*); तथा
- आस्तियों के लिए भारित औसत लागत की दैनिक गणना आधारित रॉल-आउट प्रणाली।

6. आर्थिक और नीति अनुसंधान

X.55 रिज़र्व बैंक के ज्ञान केंद्र और विचार-मंच के रूप में, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर)[1] नीति निर्माण के लिए विश्लेषणात्मक इनपुट और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से व्यावसायिक अनुसंधान करता है। विभाग प्राथमिक डेटा तैयार करता है और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में द्वितीयक डेटा का भंडार केंद्र और प्रसारक भी है। रिज़र्व बैंक की सांविधिक रिपोर्टों, अग्रणी शोध प्रकाशनों, बाह्य विशेषज्ञों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर गठित विभिन्न परिचालनात्मक विभागों और तकनीकी समूहों/समितियों को तकनीकी सहायता के लिए भी विभाग जिम्मेदार है।

[1] रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यक्षेत्रों से संबंधित विषयों के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए 1 फरवरी 2016 को स्थापित कार्यनीतिक अनुसंधान इकाई (एसआरयू) को अब 1 अक्टूबर 2020 से आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग में शामिल कर लिया गया है।

वर्ष 2020-21 की कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.56 पिछले साल, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- मुद्रास्फीति और संवृद्धि के पूर्वानुमानों में सुधार के वैकल्पिक मॉडल (*उत्कर्ष*) [पैरा X.57];
- नगरपालिका वित्त संबंधी अध्ययन (*उत्कर्ष*) [पैरा X.57];
- सेवा क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़ों को जारी करना (उत्कर्ष) [पैरा X.58];
- भारत में ऑनशोर विदेशी मुद्रा बाज़ार पर गैर-सुपुर्दगीयोग्य वायदा (एनडीएफ) बाज़ार के स्पिलओवर प्रभाव; ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति गतिकी; राज्यों के विवेकपूर्ण व्ययन के निर्धारक-तत्व; तथा अस्थिरता सूचकांक (वीआईएक्स) और शेयर सूचकांक के बीच के संबंध पर अध्ययन (पैरा X.59);
- "मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क की समीक्षा" विषय पर मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट के प्रकाशन को फिर से शुरू करना (पैरा X.60);
- वर्ष 1997 से 2008 तक की अवधि से संबंधित रिज़र्व बैंक के इतिहास के खंड-5 का विमोचन (पैरा 61);
- केंद्रीय पुस्तकालय के डिजिटल रूप में उपलब्ध सामग्री का जनसाधारण के लिए पहुँच को आसान बनाना (पैरा X.63);
- अभिलेखागारों में उपलब्ध डिजिटल रिकॉर्डों का प्रबंधन बेहतर बनाने के लिए प्रलेख प्रबंधन सॉफ्टवेयर का विकास (पैरा X.63);
- मशीन लर्निंग टूल्स पर आधारित वास्तविक समय के साथ आर्थिक दृष्टिकोण/रुझान पर नज़र रखना (*उत्कर्ष*) [पैरा X.64];
- नीतिगत सुधारों के प्रभाव का गहराई से सूक्ष्म विश्लेषण, उदाहरण के लिए, भारत में हरित वित्त (*उत्कर्ष*) [पैरा X.64]; तथा
- रिज़र्व बैंक के अन्य परिचालनगत और अनुसंधान विभागों साथ-साथ बाहर के विद्वानों के साथ सहयोग को बढ़ाना [पैरा X.64]।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.57 महंगाई के पूर्वानुमान के लिए नए मॉडल विकसित किए गए, जिनमें से एक "मूल मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान लगाने के लिए आर्थिक मंदी का एक वैकल्पिक पैमाना" शीर्षक से आरबीआई आवसरिक पत्रों में प्रकाशित किया जा रहा है। वर्तमान में 200 से अधिक नगर निगमों के बजटीय आंकड़ों के आधार पर एक व्यापक डेटा संग्रह कार्य चल रहा है।

X.58 अंतिम देश के आधार पर सेवा क्षेत्र में भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंधी डेटा (विदेशी मुद्रा लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक्स रिपोर्टिंग प्रणाली पर आधारित) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ साझा किया गया।

X.59 वर्ष 2020-21 के दौरान, विभाग ने 60 शोध पत्र/लेख प्रकाशित किए, जिनमें से 22 अंतरराष्ट्रीय और घरेलू पत्रिकाओं में रिज़र्व बैंक के बाहर प्रकाशित हुए। इसके अलावा, वर्ष के दौरान वेबसाइट पर 12 वर्किंग पेपर डाले गए । प्रकाशित अध्ययनों में विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें प्रवृत्ति मुद्रास्फीति; काउंटर पर मुद्रा डेरिवेटिव में कीमत भेदभाव; बैंक पूंजी और मौद्रिक नीति प्रसारण; सार्वजनिक कर्ज स्थिरता; वित्तीय दबाव माप; और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान का संयोजन शामिल है।

X.60 "मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क की समीक्षा" विषय पर मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट फरवरी 2021 में जारी की गई। इस रिपोर्ट में लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क के तहत लक्ष्यों, प्रक्रियाओं, परिचालन प्रक्रियाओं और खुली अर्थव्यवस्था गतिकी के मुद्दों पर चर्चा की गयी है।

X.61 वर्ष 1997 से 2008 की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक का इतिहास, खंड- 5 के प्रकाशन से संबंधित कार्य पूरा होने के करीब है जिसे वर्ष 2021-22 के दौरान जारी किया जाएगा।

X.62 जनता के लिए व्यापक प्रसार और आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय लाइब्रेरी ने रिज़र्व बैंक के डिजिटाइज़ किए गए प्रकाशनों को अपलोड किया, जिसमें रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org) पर 1997 तक की वार्षिक रिपोर्ट, बुलेटिन और स्टाफ स्टडीज शामिल हैं।

X.63 आरबीआई पुरालेख में उपलब्ध डिजिटल दस्तावेजों को स्टोर करने, खोजने, पुनर्प्राप्ति और साझा करने के लिए एक प्रलेख प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित करने का काम रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी) को सौंपा गया है और कार्य प्रगति पर है।

X.64 मशीन लर्निंग टूल्स (उदाहरण के लिए, न्यूरल नेटवर्क और यादृच्छिक वन तकनीक) का उपयोग करके जीडीपी वृद्धि के लिए एक तात्कालिक अनुमान मॉडल दिसंबर 2020 और फरवरी 2021 की मौद्रिक नीति योजना (एमपीएस) बैठकों में प्रस्तुत किया गया। रिज़र्व बैंक के जनवरी 2021 के मासिक बुलेटिन में भारत में हरित वित्त पर एक लेख प्रकाशित किया गया था। विभाग ने रिज़र्व बैंक के भीतर और बाहर दोनों कई सहयोग परियोजनाओं पर साथ मिलकर कार्य किया, जिसमें ओवर-द-काउंटर करेंसी डेरिवेटिव्स, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय मितव्ययिता, और नौकरियों के विनिर्माण क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल हैं।

अन्य पहल

X.65 वर्ष के दौरान, विभाग ने संकलित मौद्रिक राशि; भुगतान संतुलन; विदेशी कर्ज; प्रभावी विनिमय दर; संयुक्त सरकारी वित्त; हाउसहोल्ड वित्तीय बचत; और स्थापित समयसीमा और गुणवत्ता मानकों पर निधि प्रवाह से संबंधित प्राथमिक आंकड़ों का संकलन और प्रसार जारी रखा। कोविड के बाद डेटा अंतराल से निपटने के लिए, आर्थिक गतिविधियों के नए उच्च आवृत्ति संकेतकों को वैकल्पिक संकेतकों को निकालने के लिए पारंपरिक संकेतकों के साथ जोड़ा गया जो अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव और सामान्यीकरण की गति का भी आकलन करने में मदद करता है।

X.66 आंतरिक चर्चा मंच डीईपीआर स्टडी सर्कल, और केंद्रीय पुस्तकालय ने विभिन्न अनुसंधान विषयों पर वर्ष के दौरान 44 ऑनलाइन सेमिनार/प्रस्तुतियाँ/कार्यशालाएं आयोजित कीं। शैक्षणिक संस्थानों से संकाय सदस्यों के लिए छात्रवृत्ति योजना हेतु उम्मीदवारों का चयन करने के लिए विभाग ने ऑनलाइन साक्षात्कार भी आयोजित किए।

वर्ष 2021-22 की कार्य-योजना

X.67 वर्ष 2021-22 के लिए विभाग की कार्य-योजना निम्नलिखित लक्ष्यों पर केंद्रित होगी:

- रिज़र्व बैंक आवासरिक पत्रों और वर्किंग पेपर्स में प्रकाशन के लिए शोध अध्ययनों की संख्या में वृद्धि(*उत्कर्ष*);
- बिग डेटा एप्लीकेशन्स के माध्यम से समाचार-पत्र कवरेज के आधार पर प्रगामी कृषि जिंस कीमत संबंधी रुख का विश्लेषण (*उत्कर्ष*);
- केएलईएमएस [पूंजी (के), श्रम (एल), ऊर्जा (ई), सामग्री (एम) और सेवाएं (एस)] परियोजना के अंतर्गत डेटा संकलन के लिए आंतरिक विशेषज्ञता का विकास; तथा
- कोलकाता स्थित रिज़र्व बैंक संग्रहालय की पहली मंजिल पर एक भ्रमणकारी प्रदर्शनी का आयोजन।

7. सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन

X.68 सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) का लक्ष्य समष्टि-वित्तीय आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण और प्रसार करना है और डेटा प्रबंधन, अनुप्रयुक्त सांख्यिकीय अनुसंधान और प्रगामी सर्वेक्षणों के माध्यम से रिज़र्व को सांख्यिकीय सहयोग और विश्लेषणात्मक जानकारी प्रदान करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, डीएसआईएम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रिज़र्व बैंक के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस का रखरखाव करता है, जो ईएक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्लेटफॉर्म के माध्यम से विवरणी का केंद्रीकृत प्रस्तुतीकरण करता है, मौद्रिक नीति निर्माण के लिए इनपुट के

तौर पर उद्यमों और हाउसहोल्ड्स से संबंधित संरचित सर्वेक्षण करता है और सक्रिय रूप से सांख्यिकीय और विश्लेषणात्मक अनुसंधान में जुटा रहता है।

वर्ष 2020-21 की कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.69 पिछले साल विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीएमआईएस) को पूरी तरह से चालू करना (*उत्कर्ष*) [पैरा X.70 - X.71];
- ग्रैन्यलर डेटा एक्सेस लैब (जीडीएएल) और डेटा साइंस लैब (डीएसएल) में उन्नत विश्लेषणात्मक वातावरण स्थापित करना (*उत्कर्ष*) [पैरा X.70 - X.71];
- स्टटिस्टिकल डेटा एंड मेटाडेटा एक्सचेंज (एसडीएमएक्स) मानकों का पालन करते हुए चरणबद्ध तरीके में तत्व-आधारित रिपॉजिटरी स्थापित करना जिससे मेटाडेटा संचालित आंकड़ों का रखरखाव और प्रसार प्रणाली का परिचालन हो सकेगा (*उत्कर्ष*) [पैरा X.70- X.71];
- लोक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) के लिए एंड-टू-एंड सिस्टम विकसित करना (*उत्कर्ष*) [पैरा X.72];
- डीएसएल का परिचालन प्रारंभ करना (*उत्कर्ष*) [पैरा X.73];
- समष्टि-आर्थिक संकेतकों की मॉडलिंग, तात्कालिक अनुमान और पूर्वानुमान के क्षेत्रों में नीति संबंधी अनुसंधान करना जिसमें वेब-क्रॉलिंग, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल) और बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग शामिल है (*उत्कर्ष*) [पैरा X.73];
- एससीबी, यूसीबी और एनबीएफसी के लिए अत्याधुनिक एकल सर्च सुविधा वाला केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सीएफआर) पोर्टल विकसित करना जिससे कि ऋण देने का निर्णय लेते समय इनसे प्राप्त सूचना से सहायता मिल सके (पैरा X.74); और;
- उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) का हाउसहोल्ड्स के मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) के सदृश्य सभी शहरी केंद्रों में विस्तार करना (पैरा X.75)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.70 केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) परियोजना के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक के डेटा केंद्रों पर आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों के कारण देरी से पूरी हुई। नियंत्रण एवं विनिर्देश संबंधी दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया और सिस्टम-टू-सिस्टम एकीकरण का परीक्षण प्रमुख बैंकों के साथ सफलतापूर्वक किया गया।

X.71 मौजूदा अन्वेषी हडूप वातावरण से सीआईएमएस हडूप वातावरण में डेटा माइग्रेशन का कार्य पूरा हो गया।

X.72 लोक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) प्रणाली का विकास शुरू किया गया। पीसीआर विधेयक के मसौदे की समीक्षा की गई।

X.73 डेटा साइंस लैब (डीएसएल) ने जनवरी 2020 में अपना परिचालन शुरू किया और सांख्यिकीय और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय विभागों के लिए डेटा एनालिटिक्स परियोजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। बैंक की प्रासंगिक अनुसंधान गतिविधियों के लिए ऑनलाइन प्रिंट मीडिया से प्रासंगिक जानकारी, अर्थात, समष्टि-आर्थिक मापदंडों पर मीडिया का रुख जुटाने के लिए बिग डेटा विश्लेषणात्मक टूल का इस्तेमाल किया गया।

X.74 उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस), केंद्रीय बृहत ऋण सूचना भंडार (सीआरआईएलआईसी), केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सीएफआर) के लिए एक अत्याधुनिक कॉमन वायरफ्रेम (प्रोटोटाइप) विकसित किया गया है और इसे परिष्कृत किया जा रहा है।

X.75 उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) के प्रायोगिक चरण अब छह शहरों (अर्थात, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जम्मू, नागपुर, रायपुर और रांची) में चलाए जा जा रहे हैं, जहाँ हाउसहोल्ड्स का मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) किया जाता है।

अन्य पहल

X.76 इलेक्ट्रॉनिक डेटा सबमिशन पोर्टल (ईडीएसपी) में जून 2020 से अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी (आईबीएस) डेटा प्रस्तुत करने की सुविधा के लिए संवर्धित सुरक्षा विशेषताओं के साथ सुसज्जित किया गया।

X.77 भौतिक सर्वेक्षण में निहित कोविड-19 संबंधित व्यवधानों और जोखिमों के मद्देनजर, हाउसहोल्ड सर्वेक्षण टेलीफोनिक रूप से किए गए (बॉक्स X.5)। बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसीएस) के मार्गदर्शन में प्रगामी तिमाही के 'बैंक उधारी सर्वेक्षण (बीएलएस)' और 'सेवा एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर दृष्टिकोण सर्वेक्षण (एसआईओएस)' के परिणाम जारी किए गए ।X.78 कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों के बावजूद, विभाग द्वारा वर्ष के दौरान अपने नियमित प्रकाशनों, अर्थात, भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी सांख्यिकी पुस्तिका, 2019-20; भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियाँ, 2019-20; भारत में एससीबी की बुनियादी सांख्यिकीय विवरणियाँ (बीएसआर1, बीएसआर2 और बीएसआर7); साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक (डबल्यूएसएस); और रिज़र्व बैंक बुलेटिन के 'वर्तमान सांख्यिकी' वाले हिस्से को समयबद्ध तरीके से निकाला गया।

वर्ष 2021-22 की कार्य-योजना

X.79 आगे चलकर, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- सीआईएमएस को एक उन्नत विश्लेषणात्मक वातावरण बनाने की दिशा में काम करना और सभी डेटाबेसों को नए केंद्रीकृत सिस्टम में अंतरित करना (*उत्कर्ष*);
- मेटाडाटा संचालित रखरखाव और प्रसार प्रणाली के लिए एसडीएमएक्स मानकों का पालन करना (*उत्कर्ष*);

बॉक्स X.5

कोविड-19 महामारी के दौरान सर्वेक्षण

संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (यूएनएसडी) और विश्व बैंक द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों (एनएसओ) में से 95 प्रतिशत से अधिक ने मई 2020 में आमने-सामने डेटा संग्रह को आंशिक या पूर्ण रूप से रोक दिया था (यूएन, 2021)। कुछ राष्ट्रीय एजेंसियों ने हाउसहोल्ड वित्त, यात्रा और अन्य कार्य-क्षेत्रों से संबंधित अपने नियमित सर्वेक्षण में बड़ी गड़बड़ी देखी। कई केंद्रीय बैंक वैकल्पिक डेटा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करके और लॉकडाउन अवधि के दौरान सर्वेक्षण प्रश्नावली का ध्यान रखते हुए इन नवीन चुनौतियों से जूझ रहे हैं, हालांकि, कई कारोबारों से संपर्क नहीं किया जा सका, और रिज़र्व बैंक के प्रगामी उद्यम सर्वेक्षणों की प्रतिक्रिया दर में भारी गिरावट आई (यूएस, 2020)। मार्च 2020 के मध्य में नियमित सर्वेक्षण दौर के साथ अनुवर्ती सर्वेक्षण किए गए। इसके अलावा, अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए, सर्वेक्षण प्रश्नावली में दो और तिमाहियों (वर्तमान और आगामी के अलावा) के लिए महत्वपूर्ण मापदंडों पर दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए एक अतिरिक्त ब्लॉक शामिल किया गया।

रिज़र्व बैंक ने निरंतरता प्रदान करने के लिए अपने कंप्यूटर-एडेड व्यक्तिगत साक्षात्कार (सीएपीआई) आधारित हाउसहोल्ड सर्वेक्षणों को अस्थायी रूप से टेलिफोनिक सर्वेक्षण से प्रतिस्थापित किया और रिपोर्टिंग संस्थाओं और जांचकर्ताओं का इसका अधिकांश प्रशिक्षण ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर भी था (आरबीआई, 2020)। ऑन-स्पॉट सत्यापन या क्षेत्र दौरा करने में असमर्थता की भरपाई के लिए ऑडियो और टेलीफ़ोनिक सत्यापन के माध्यम से सत्यापित साक्षात्कार के अनुपात में वृद्धि की गई। लॉकडाउन से संबंधित प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद, घरेलू सर्वेक्षणों में टेलीफ़ोनिक माध्यमों पर से निर्भरता धीरे-धीरे कम हो गई है।

संदर्भ:

1. यूएन (2021), 'प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग हाउसहोल्ड सर्वेज़ अंडर कोविड-19', टेक्निकल गाइडेंस नोट बाई द इंटर-सेक्रेटेरिएट वर्किंग ग्रुप, दिसंबर 2020।
2. यूएस (2020), 'मॉनिटरिंग द स्टेट ऑफ स्टेटिस्टिकल ऑपरेशन्स अंडर द कोविड-19 पैनडेमिक – सर्वे ऑफ स्टेटिस्टिकल ऑफिस', मई, जुलाई और अक्टूबर।
3. आरबीआई (2020), (प्रगामी सर्वेक्षणों के परिणाम (द्वि-मासिक प्रेस प्रकाशनियाँ)।

- एससीबी से शुरू करके चरणबद्ध तरीके से पीसीआर के लिए एक स्केलेबल एंड-टू-एंड सिस्टम लागू करना (*उत्कर्ष*);
- अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी (आईबीएस) के लिए रिपोर्टिंग सिस्टम को संशोधित करना;
- रिज़र्व बैंक को प्रासंगिक पूरक जानकारी प्रदान करने के लिए बिग डेटा के डोमेन में डेटा संग्रह तंत्र और विश्लेषणात्मक कार्य के दायरे का विस्तार करना; तथा
- अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट/डेबिट कार्ड लेनदेन के आर्थिक वर्गीकरण के संबंध में मासिक डेटा एकत्र करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना।

8. विधिक मामले

X.80 विधि विभाग एक परामर्शदाता विभाग है, जिसकी स्थापना विधिक मामलों की जांच करने और परामर्श देने तथा रिज़र्व बैंक की ओर से मुकदमों के प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गयी है। विधि विभाग रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों से संबंधित परिपत्रों, विनियमों और करारनामों की जांच करता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि रिज़र्व बैंक के निर्णय विधिक दृष्टि से ठोस हों। विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को सचिवीय सहायता उपलब्ध कराता है तथा संबंधित परिचालन विभागों की सहायता से केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष मामलों की सुनवाई में बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। यह विभाग निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), कैफरल तथा रिज़र्व बैंक के स्वामित्व वाली अन्य संस्थाओं को भी विधिक मुद्दों, मुकदमों और न्यायालय संबंधी मामलों में कानूनी सहायता और परामर्श देता है।

वर्ष 2020-21 की कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.81 पिछले साल, विभाग ने वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- इसकी कार्य-प्रक्रिया और कामकाज को स्वचालित बनाना, जिससे अनुसंधान, ई-खोज और डेटा विश्लेषण को बढ़ावा मिलेगा (*उत्कर्ष*) [पैरा X.82];
- सूचना का अधिकार अधिनियम, (आरटीआई अधिनियम), 2005 के तहत अपीलीय प्राधिकारी के लिए सचिवालय के रूप में विभाग की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से और शीघ्रता से करने हेतु अपने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों को मार्गदर्शन नोट प्रदान करना (*उत्कर्ष*) [पैरा X.83];
- रिज़र्व बैंक के परिचालन विभागों के साथ गहन समन्वय रखते हुए अपने कार्यों को सक्रियता से करना पैरा [X.84 - X.86]; तथा
- रिज़र्व बैंक की ओर से मुकदमों का प्रबंधन करना [पैरा X.87 - X.96]।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.82 विभाग की गतिविधियों को स्वचालित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर पैकेज के विकास से संबंधित कार्य रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी) को सौंपा गया है। प्रस्तावित सॉफ्टवेयर पैकेज के विकास के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया गया और आरईबीआईटी के साथ कार्य-विवरण (एसओडबल्यू) भी हस्ताक्षरित किया गया। इस संबंध में सॉफ्टवेयर का विकास वर्तमान में प्रगति पर है।

X.83 आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए अपने केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के लिए मार्गदर्शन नोट की तैयारी अधिक प्रभावी ढंग से और शीघ्रता से वर्ष के दौरान पूरी की गई।

X.84 वित्तीय क्षेत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण कानून/विनियम वर्ष के दौरान बनाए गए/संशोधित किए गए। बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 को 29 सितंबर, 2020 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। संशोधन अधिनियम 26 जून

2020 से लागू हो गया है, सिवाय प्राथमिक सहकारी बैंकों से संबंधित धारा 4 के, जिसे 29 जून 2020 से लागू मान लिया गया। इसके अलावा, अधिसूचना दिनांक 23 दिसंबर 2020 के माध्यम से, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2021 को उस तारीख के रूप में घोषित किया है, जिस दिन धारा 4 के प्रावधान बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए लागू होगा।

X.85 अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 को 28 सितंबर 2020 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 1 अक्टूबर 2020 से इसे लागू किया गया, जिसका उद्देश्य अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग की प्रवर्तनीयता प्रदान करके और इसके साथ जुड़े आकस्मिक या प्रासंगिक मामलों के लिए भारतीय वित्तीय बाजार में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।

X.86 भारत सरकार (जीओआई) द्वारा अधिसूचना दिनांक 29 सितंबर 2020 के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 को अधिसूचित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 13 और धारा 33 के प्रावधानों के प्रभावी होने की तिथि 1 अक्टूबर 2020 निर्धारित की गई थी। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में बैंकिंग और निवेश गतिविधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियमन, 2020 को 18 नवंबर 2020 को अधिसूचित किया और बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949; भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 और फेमा, 1999 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों/परिपत्रों/दिशा-निर्देशों को अपनाया, जो संबंधित बैंकिंग इकाइयों के लिए लागू होगा।

X.87 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 23 मार्च 2020 के माध्यम से कोविड-19 के कारण देश के सामने उत्पन्न हुई स्थिति और इसके परिणामस्वरूप सामान्य परिसीमन कानून के अंतर्गत या विशेष कानूनों के अंतर्गत निर्धारित परिसीमा के भीतर वादी को कार्यवाही दाखिल करने में देश में होने वाली कठिनाइयों का स्वतः संज्ञान[2] लेने का निदेश दिया। न्यायालय ने चेक और बैंक ड्राफ्ट जैसे परक्राम्य लिखतों की वैधता की अवधि के विस्तार की भी जांच की। इसके बाद, न्यायालय ने 10 जुलाई 2020 के आदेश में टिप्पणी की कि इस तरह के परक्राम्य लिखत के संबंध में अवधि रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निर्धारित है और इसलिए इस अवधि में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। विशेष रूप से इसलिए, क्योंकि संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली उस अवधि के आधार पर कार्य करती है।

X.88 भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के 27 मार्च 2020 के परिपत्र के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका (गजेंद्र शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य) दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अधिस्थगन अवधि के दौरान यह ऋण राशि पर ब्याज वसूलने के मामले में यह शक्ति बाह्य अधिकारातीत है। याचिका के लंबित रहने के दौरान, केंद्र सरकार ने आठ श्रेणियों में ₹2 करोड़ तक के ब्याज की छूट के लाभ के लिए विभिन्न राहतें दीं और रिज़र्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों, सभी प्राथमिक सहकारी बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं एवं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 26 अक्तूबर 2020 को एक परिपत्र जारी कर उन्हें भारत सरकार द्वारा 23 अक्टूबर 2020 को घोषित की योजना का पालन करने की सलाह दी। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश दिनांक 27 नवंबर 2020 के माध्यम से याचिका का निपटारा कर दिया।

X.89 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिज़र्व बैंक के दिनांक 27 मार्च 2020 और 6 अगस्त 2020 के परिपत्रों को चुनौती देने वाली ऋण अधिस्थगन की अवधि की विस्तार और ब्याज माफी की मांग करने वाली ऋण अधिस्थगन से संबंधित दायर याचिकाओं पर शीर्ष न्यायालय ने 3 सितंबर 2020 के

[2] स्वत: संज्ञान रिट (सी) संख्या 3/2020 (परिसीमन के विस्तार का संज्ञान)।

अंतरिम आदेश में निर्णय दिया कि जिन खातों को 31 अगस्त 2020 तक अनर्जक आस्ति (एनपीए) घोषित नहीं किया गया था, उन्हें अगले आदेश तक एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कई तारीखों पर मामले की सुनवाई की और 23 मार्च 2021 के एक अंतिम आदेश के माध्यम से मामलों को यह कहते हुए निपटा दिया कि वह इस आधार पर आर्थिक नीति के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि या तो वे पर्याप्त या प्रभावकारी नहीं हैं और/या कुछ और राहत प्रदान किया जाना चाहिए था। हालांकि, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान अनुदान योजना के संदर्भ में, न्यायालय ने कहा कि सिर्फ ₹2 करोड़ तक ऋण के मामले में ही ब्याज के ऊपर ब्याज से राहत को सीमित करने का कोई औचित्य नहीं दिखता है और वह भी इसमें निर्दिष्ट श्रेणियों तक ही सीमित है। न्यायालय ने किसी भी उधारकर्ता से अधिस्थगन की अवधि के लिए ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज/दंडस्वरूप ब्याज के ऊपर ब्याज लेने के संबंध में राहत प्रदान किया।

X.90 पीयूष बोकारिया बनाम आरबीआई के वाद में, रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जुलाई 2015 के परिपत्र के माध्यम से जारी बासेल III पूंजीगत विनियमनों संबंधी मास्टर परिपत्र को चुनौती देने वाली रिट याचिका मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। रिज़र्व बैंक का पक्ष सुनने के बाद न्यायालय ने 30 सितंबर 2020 के अपने आदेश में उक्त परिपत्र की वैधता को बरकरार रखा।

X.91 यस बैंक के पुनर्निर्माण के मामले में और अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड के अपलिखित करने से संबंधित मामलों में, विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष यस बैंक द्वारा जारी किए गए ऐसे बॉन्ड को अवलेखन करने के लिए यस बैंक के प्रशासक के फैसले को चुनौती देने वाले कई रिट याचिकाएं दायर की गई थीं। चूंकि यस बैंक ने पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक ट्रान्सफर याचिका दायर कर दिया है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के लंबित होने के मद्देनजर उच्च न्यायालयों ने मामलों को स्थगित कर दिया है।

X.92 दिनांक 25 नवंबर 2020 की अधिसूचना के माध्यम से जारी 'लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) लिमिटेड (डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ समामेलन) योजना, 2020', को शेयरधारकों द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर कई याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई। चूंकि रिज़र्व बैंक और डीबीएस इंडिया लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ट्रांसफर याचिकाएं दायर की हैं, इसलिए उच्च न्यायालयों ने मामलों को स्थगित कर दिया है।

X.93 बिग कांचीपुरम कोऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं एक अन्य; और वेल्लूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं एक अन्य, के मामले में; बैंककारी विनियमन संशोधन अधिनियम, 2020 की कुछ निश्चित धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दो रिट याचिकाएं मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गईं। न्यायालय ने दिनांक 20 जुलाई 2020 के अंतरिम आदेश के माध्यम से उक्त अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और सुनवाई के लिए मामला लंबित है।

X.94 तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राजेश अग्रवाल बनाम आरबीआई और अन्य के मामले में 10 दिसंबर 2020 के अपने फैसले में निर्णय दिया कि बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं (एफआई) द्वारा धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग संबंधी मास्टर दिशा-निर्देश, 2016 के खंड 8.9.4 और 8.9.5 को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन का अभिप्राय समझना चाहिए। अन्य बातों के साथ, 1 जुलाई 2016 के धोखाधड़ी संबंधी रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देशों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन मानते हुए खाते को 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत करने की कार्रवाई को भी चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई।

X.95 जीवन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड एवं एक अन्य बनाम भारत संघ एवं एक अन्य के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई जिसमें अपीलीय प्राधिकरण (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) के आदेश को चुनौती दी गयी थी, जिसने रिज़र्व बैंक के निरसन आदेश के साथ-साथ याचिकाकर्ता कंपनी को दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने के रिज़र्व बैंक के निर्णय को बरकरार रखा था। न्यायालय ने 23 अक्टूबर 2020 के अपने फैसले में कहा कि सांविधिक फ्रेमवर्क व्यक्तिगत

सुनवाई का अवसर नहीं देता है। न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया था कि प्रतिवादी लाइसेंस की शर्त या रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन किए बिना कारोबार करने के लिए किसी भी निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकते।

X.96 शकुन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में, शिमला उच्च न्यायालय ने 22 जुलाई 2020 के अपने निर्णय में कहा कि निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की गैर-प्राप्ति के लिए सीओआर को रद्द करना उचित था और वादी की याचिका को खारिज कर दिया।

वर्ष 2021-22 की कार्य-योजना

X.97 वर्ष 2021-22 में, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा:

- रिज़र्व बैंक के परिचालन विभागों के साथ गहन समन्वय के साथ पूरी सक्रियता से अपने कार्यकलापों को करना; तथा
- विधिक प्रक्रियाओं में, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी जैसी स्थिति में प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व को ध्यान में रखते हुए, अपनी कार्य प्रवाह प्रक्रिया और कार्यकलाप को स्वचालित करने का प्रयास करना।

9. निष्कर्ष

X.98 बीते वर्ष में समष्टि-आर्थिक वातावरण चुनौतीपूर्ण रहा है, जिसमें मानव जीवन और आजीविका के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो गए थे, ऐसे में रिज़र्व बैंक ने महामारी जनित स्थिति से निपटने के लिए कई पारंपरिक और अपारंपरिक नीतिगत कदम उठाए, जिसने वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाले बिना अर्थव्यवस्था में अनुकूल वित्तपोषण संबंधी शर्तों को बढ़ावा दिया। इसके अलावा, मिल कर काम करने वाले परिणामों को हासिल करने के लिए भावी मार्गदर्शन को रिज़र्व बैंक की संचार रणनीति में प्रमुखता मिली। आगे जाकर, इस अध्याय में शामिल कार्यात्मक क्षेत्रों में रिज़र्व बैंक का प्रमुख फोकस निम्नानुसार होगा: संचार माध्यमों और आर्थिक एवं वित्तीय अंतरराष्ट्रीय संबंधों को और मजबूत करना; *ई-कुबेर* में सरकारी शेष की दैनिक स्थिति संसाधन को स्वचालित करना; विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि प्रबंधन के लिए नए आस्ति वर्गों/बाजारों के माध्यम से पोर्टफोलियो विविधीकरण का पता लगाते रहना; आर्थिक और सांख्यिकीय नीति विश्लेषण और अनुसंधान को तेज करना; सीआईएमएस को पूरी तरह से चालू करना; चरणबद्ध तरीके से पीसीआर की शुरुआत करना; और बिग डेटा के क्षेत्र में डेटा संग्रह तंत्र और विश्लेषणात्मक कार्य के दायरे का विस्तार करना।